# CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

Central Adoption Resource Authority

CARA

# वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

# Annual Report 2018-2019

Central Adoption Resource Authority

Towards a New Dawn

Ministry of Women & Child Development

भारत सरकार

Government of India

www.cara.nic.in

सत्यमेव जयते

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2018–2019

CARA

**केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**

**महिला एंव बाल विकास मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**www.cara.nic.in**

# विषय सूची


**माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, का संदेश** *i*

**माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, का संदेश** *iii*

**सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेशित** *v*

**सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कारा) के द्वारा अभिस्वीकृति** *vii*

**अध्याय : 1 भूमिका** **1**

1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) 1

1.2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति 2

1.3 कारा की सलाहकार समिति 5

1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) 6

1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) 6

1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) 6

1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) 7

1.8 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और विदेश में भारतीय राजनियक (आईडीएम) मिशन 7

**अध्याय : 2 गतिविधियां** **8**

2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) 8

2.2 प्रशिक्षण और विकास 9

2.3 निरीक्षण एवं निगरानी 17

2.4 प्रचार और जागरूकता 20

2.5 महत्वपूर्ण परिपत्र और एडवाईजरी 24

2.6 अन्य पहलें, उपलब्धियां एवं प्रशस्ति 24

**अध्याय : 3 वैधानिक अनुपालन** **27**

3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 से संबंधित जानकारी 27

3.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी 27

**अध्याय : 4 आंकड़ा आधार** **28**

4.1 अंतिम तीन वर्षो के समेकित दत्तक ग्रहण आंकड़े 28

4.2 वर्ष 2018–19 हेतू राज्य और लिंग–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंर्तदेशीय दत्तक ग्रहण) आंकड़ें का विवरण 28

4.3 वर्ष 2018–19 हेतू देश और लिंग–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंर्तदेशीय दत्तक ग्रहण) आंकड़ें का विवरण 29

**अध्याय : 5 अनुलग्नक** **30**

5.1 परिशिष्ट – कः राज्य वार राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) राज्यवार विवरण 30

5.2 परिशिष्ट – खः जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की राज्य–वार सूची 36

5.3 परिशिष्ट – गः विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की राज्य–वार संख्या 37

5.4 परिशिष्ट – घः प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) की राज्य–वार संख्या 38

5.5 परिशिष्ट – ङः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र और हिदायतों की प्रति 43

**अध्याय : 6 वर्ष 2018–2019 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े** 53

स्मृति ज़ूबिन इरानी
Smriti Zubin Irani

मंत्री
महिला एवं बाल विकास और वस्त्र
भारत सरकार
नई दिल्ली
Minister
Women & Child Development and Textiles
Government of India
New Delhi

दिनांकः नवम्बर 2019

**संदेश**

मेरे मंत्रालय की एक साविंधिक निकाय केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

एक बच्चे का दत्तक ग्रहण दुनिया को तो नहीं बदल सकता, परन्तु उस गोद लिए गए बच्चे की दुनिया अवश्य बदल सकती है । हमारी सरकार, दत्तक ग्रहण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे जिसको देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता है, के पुनर्वास हेतु सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिवद्ध है । केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय, को देश में अनाथ और बेसहारा बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, सुगम बनाने तथा विनियमन करने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में नियुक्त किया गया है ।

बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । यहां ई-गर्वनेंस के माध्यम से और अधिक पारदर्शिता लाई गई है, जहां सभी हितधारकों के साथ सभी संभावित दत्तक माता-पिता भी अपने प्रकरण की स्थिति और प्रगति की निगरानी कर सकते हैं ।

कानूनी रूप से मुक्त बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु परिवारों को ढूढने के लिए, हमें सेवा प्रदान करने एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है । मैं राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्तर्गत कार्य कर रहे 'राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों' को यह परामर्श देना चाहती हूं कि वे अपने क्षेत्र में दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों को और अधिक गति प्रदान करें । समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए । बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इनकी सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है ।

मैं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की टीम के सभी सदस्यों को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ ।

स्मृति इरानी

(स्मृति ज़ूबिन इरानी)

Ministry of Women & Child Development : Room No. 353, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 011, Phone : 23074052-54, Fax: 23387384
Ministry of Textiles : Room No. 129, 'D' Wing, Udyog Bhawan, New Delhi-110011, Phone : 23061385, 23063779, Fax : 23061575

देबश्री चौधरी
DEBASREE CHAUDHURI

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

**दिनांक: 20.11.2019**

## संदेश

बच्चे हमारे देश का भविष्य एवं राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बाल्यावस्था के संदर्भ में राष्ट्र की सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारणा तथा परिवार व समाज में बच्चे की वृहतर भूमिका के बावजूद किसी भी बच्चे की सुव्यवस्थित वृद्धि और विकास के लिए सार्वभौम स्वीकृत अनिवार्य आधारभूत आवश्यकतायें है।

दत्तक ग्रहण न केवल नि:संतान दंपत्तियों और एकल व्यक्तियों के लिए बल्कि परिवार विहीन बच्चों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक अभिभावक–बाल संबंध को उन लोगों के बीच स्थापित करने में सक्षम बनाता है जो जैविक रूप से सम्बद्ध नहीं है। दत्तक बच्चे माता–पिता के गर्भ से नहीं उत्पन्न होते बल्कि उनका जन्म माता–पिता के ह्रदय से होता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के बनने तथा कियान्वयन के पश्चात केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने बच्चों के पुर्नवास हेतु विभिन्न हितधारकों को दत्तक ग्रहण कानून, नियमों और विनियमां हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया है साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों, न्यायालयों और बाल संरक्षण समितियों, आदि से भी सामंजस्य स्थापित कर इस प्रकिया को सुगम बनाया है। हांलाकि हमें अभी भी बहुत कुछ करना है लेकिन हर कदम संस्थागत देखभाल में रह रहे प्रत्यके बच्चे को घर का सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कारा दत्तक ग्रहण की प्रकिया की पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढावा दे रहा है जो विभिन्न लोगों के द्वारा पंसद किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षो में भी दत्तक ग्रहण के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बच्चों के पुर्नवास के कार्य की निरंतरता को बनाये रखेगा।

मैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को दत्तक ग्रहण कार्यकम को विस्तारित करने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ।

**(देबश्री चौधरी)**

कार्यालय : कमरा नं. 756, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड़, नई दिल्ली–110 001, दूरभाष : 23382361–63, फैक्स : 23387854
Off. : Room No. 756, 'A' Wing, Shastri Bhavan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001, Tel. : 011-23382361-63, Fax. : 011-23387854
E-mail : debasree.chaudhuri@gov.in

रबीन्द्र पंवार
सचिव
**Rabindra Panwar**
Secretary

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001
Website : http://www.wcd.nic.in

सत्यमेव जयते

# संदेश

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार देशीय और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामलों में राष्ट्रीय केंद्रीय प्राधिकरण और नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के अधिदेश के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक निकाय है। केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तकग्रहण की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके लिए उपयुक्त परिवार को खोज में मदद करता है। इस रिपोर्ट का सबसे प्रोत्साहक सूचक देश की विभिन्न बाल देखरेख संस्थाओं के निराश्रित एंव अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एस.ए.ए) के साथ सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) को जोड़ने में कारा द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास हैं।

दत्तक ग्रहण प्रणाली में आने वाले दत्तक योग्य बच्चों एवं गोद लेने के लिए प्रतीक्षारत माता–पिताओं की संख्या में भारी अंतर है। हमारे पास बच्चों के दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता–पिताओं की संख्या अधिक है जबकि दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र बच्चों की उपलब्धता बहुत कम है। हमारे पास विशेष आवश्यकताओं वाले एवं अधिक आयु के बच्चों की संख्या ज्यादा हैं जिन्हें स्नेही व समुचित देखभाल करने वाला परिवार मिल पाना बहुत कठिन होता है। अतः परिवार विहीन सभी बच्चों को दत्तक ग्रहण प्रणाली में लाकर हमें अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारे हितधारकों को भी कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण के माध्यम से संवेदनशील और समर्थ बनाने की आवश्यकता है।

मैं कारा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उनके अथक परिश्रम के लिए सराहना करता हूँ। मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहूंगा कि देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास के लिए हमारे प्रयासों में बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं नैतिक आचरण का सर्वोपरि स्थान होना चाहिए।

(रबीन्द्र पंवार)

Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383586 Fax : 011-23381495 E-mail : secy.wcd@nic.in

दीपक कुमार
सदस्य सचिव
व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
**Deepak Kumar**
Member Secretary
&
Chief Executive Officer

सत्यमेव जयते

CARA

**केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
**CENTRAL ADOPTION RESOURCE AUTHORITY**
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

## अभिस्वीकृति

भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कारा की चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं बच्चों के कल्याण हेतु किये गये अथक प्रयासों के लिए अपने अधिकारियों एंव कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। विशाल देश में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की उचित देखरेख एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के व्यापक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में, प्राधिकरण सभी हितधारकों जैसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, जिला बाल संरक्षण एककों, बाल कल्याण समितियों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले अभिकरणों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, न्यायपालिका, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, भारतीय राजनयिक मिशनों एवं भावी दत्तक माता–पिता की सक्रिय भागीदारी की सराहना करता है।

भारत सरकार के केंद्रीय प्राधिकरण के तौर पर, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि कारा बच्चों के हित को सर्वोपरि रखते हुए, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए गैर–संस्थागत देखरेख सर्वोत्तम विकल्प होता है और बच्चों के लिए परिवार मिलने की संभावना की हमेशा प्रयास की जानी चाहिए। इसी क्रम में, बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण को समर्थकृत करने के लिए, हमने अभी तक 5682 बाल देखरेख संस्थाओं को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों से जोड़ दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एंव परामर्श सुविधाओं का प्रावधान एक महत्वपूर्ण विषय है जिनके प्रति हम संवेदनशील हैं और हम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे है।

मैं माननीय मंत्री और सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता वाली संचालन समिति को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्राधिकरण को दिए गए अधिदेश का निर्वहन करने में उचित मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

दीपक कुमार

**सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा**

पश्चिमी खंड–8, विंग–4, प्रथल तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066। दूरभाष : 011–26760302, फैक्स : 011–26180198, मोबाईल : 8588868739
ई–मेलः deepakkumar.668m@gov.in, captdkumar@gmail.com, वैबसाइटः www.cara.nic.in
West Block-8, Wing-IV, Ist Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066. Phone : 011-26760302, Fax: 011-2618 0198. Mobile : 8588868739
E-mail: deepakkumar.668m@gov.in, captdkumar@gmail.com, Website: www.cara.nic.in

# परिवर्णी शब्द

| | | |
|---|---|---|
| **एआर** | : | दत्तक ग्रहण विनियम |
| **एएफएए** | : | अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण |
| **सीए** | : | केंद्रीय प्राधिकरण (बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण) |
| **सीएआरए** | : | केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण |
| **केयरिंग्स** | : | बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) |
| **सीसी** | : | अनुपालन प्रमाण पत्र |
| **सीसीआई** | : | बाल देखभाल संस्थान |
| **सीडब्ल्यूसी** | : | बाल कल्याण समिति |
| **डीसीपीयू** | : | जिला बाल संरक्षण एकक |
| **डीसीपीओ** | : | जिला बाल संरक्षण अधिकारी |
| **एचएसआर** | : | गृह अध्ययन रिपोर्ट |
| **आईसीपीएस** | : | समेकित बाल संरक्षण स्कीम, |
| **आईसीटी** | : | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी |
| **आईडीएम** | : | भारतीय राजनायिक मिशन |
| **आईईसी** | : | सूचना, शिक्षा और संप्रेषण |
| **जे जे एक्ट** | : | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 |
| **जे जे नियम** | : | किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 |
| **एमआईएस** | : | प्रबंधन सूचना प्रणाली |
| **एनओसी** | : | अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| **एनआरआई** | : | अनिवासी भारतीय |
| **ओएएस** | : | अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित |
| **ओसीआई** | : | भारत के विदेशी नागरिक |
| **पीएपी** | : | भावी दत्तक माता–पिता |
| **एसएए** | : | विशिष्ट दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण |
| **एसएआरए** | : | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण |
| **एसएनसी** | : | विशेष जरूरतों वाले बालक |

अध्याय : 1

# भूमिका

दिनांक 30 जुलाई, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक में माननीय श्रीमती मेनका संजय गांधी, केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय

## 1-1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)

1.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) की स्थापना जून, 1990 में कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के विनियमन, निगरानी और प्रोत्साहन हेतु की गई थी जिसका मुख्य अधिदेश देखभाल व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए प्यार भरे परिवारों का पता लगाना है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 02 जुलाई, 1998 के निर्णय के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में 'पंजीकृत कर 18 मार्च, 1999 को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत दत्तक ग्रहण से संस्थागत बच्चों के दत्तक ग्रहण स्थापन में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकरणों की भागीदारी से बच्चों का दत्तक ग्रहण में स्थानन संभव हो सका है।

1.1.2 15 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 के माध्यम से कारा ने अंतर्देशीय दत्तक हेतु हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण विनियमित करने और दत्तक ग्रहण संबंधी विषयों प र विनियम निरूपित करने के अधिदेश के साथ एक सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से, देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देता है, अंतर–राज्य दत्तक ग्रहण को सुकर बनाता है और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करता है। कारा की महत्वकांक्षा अधिकतम बच्चों को दत्तक परिवारों के साथ गैर–संस्थागत देखभाल में रखने की है। कारा वर्ष 2003 अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बावत बाल संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का प्रमुख सदस्य सचिव एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसकी संस्वीकृत क्षमता 37 अधिकारियों एंव कर्मचारियों की है।

1.1.3 **किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतू अधिदेश दिया गया है–**

(क) देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरणों के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;

(ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करना;

(ग) समय समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमनों की विरचना करना, जो आवश्यक हों;

(घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के बाबत बालकों के सरंक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों में कार्यान्वित करना;

(ड) दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियमन 37 के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य कृत्य;

1.1.4 **कारा का उद्‌देश्य** बच्चों के सर्वोत्तम हित, भावी दत्तक माता पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने में, सक्षम बनाने के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, ऑनलाइन पंजीकरण, रेफरल (वरिष्ठता के आधार पर), आरक्षित और मिलान प्रणाली व पारदर्शिता हेतु ऑफलाइन मिलान को समाप्त करना सुनिश्चित करना है। नई बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उद्यमान प्रौद्योगिकी है और ई–अभिशासन के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को भी कम करती है।

1.1.5 **कारा का विज़न** माता–पिता की देखरेख से वंचित बच्चे और वह बच्चे जो अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित है, के लिए पालन–पोषण एवं देखभाल करने वाले परिवार की तलाश करना है। कारा का मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चो के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के क्रियाकलापों में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता पिता को सुविधायें प्रदान करना है।

## 1.2 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति

1.2.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति का गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 22/3/2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. – सीडब्ल्यू–।।/26/7/2015–सीडब्ल्यू–।। के द्वारा 15/01/2016 से दो वर्षों के कार्यकाल हेतु किया गया है। उक्त संचालन समिति के कार्यकाल को नई संचालन समिति के गठन तक बढ़ाया गया है। तत्पश्चात्, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति का पुनर्गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 के अंतर्गत भारत का राजपत्र के में, असाधारण, भाग–।।, खण्ड 3 उपखण्ड–(ii) से प्रकाशित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिसूचना सं 3162 दिनांक 10/8/2018 के अनुसार दिनांक 10/08/2018 से दो वर्ष की अवधि हेतु किया गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति की संरचना नीचे दी गई है–

(क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–अध्यक्ष (पदेन)

(ख) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्राधिकरण के कार्य से संबंधित–सदस्य (पदेन)

(ग) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय कार्यो से संबंधित सदस्य (पदेन)

(घ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से एक सदस्य;

(ड) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों से दो सदस्य;

(च) एक दत्तक माता–पिता;

(छ) एक दत्तक बालक अथवा बालिका;

(ज) एक वकील या एक आचार्य, जिसके कुटुम्ब विधि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(झ) सदस्य सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

### 1.2.2 अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और कार्यकाल निम्नानुसार है–

| क्रम. सं. | नाम और पद का विवरण | पद |
|---|---|---|
| (क) | श्री राकेश श्रीवास्तव<br>सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,<br>कमरा नं. 601, छठा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001<br>(31/03/2019 तक) | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ख) | सुश्री एम.आर.टीशेयरिंग<br>संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहाकार, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार<br>तीसरा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001<br>(17/05/2017 से 01/10/2018 तक)<br><br>श्री अली रजा रिज़वी<br>अपर सचिव और वित्तीय सलाहाकार, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार<br>शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001<br>(01/10/2018 से) | सदस्य (पदेन) |
| (ग) | सुश्री आस्था सक्सेना खटवानी<br>संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,<br>तीसरी तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001<br>(23/05/2017 से 08/10/2018 तक)<br><br>श्री आशीष श्रीवास्तव संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,<br>तीसरा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001<br>(08/10/2018 से 31/03/2019 तक ) | सदस्य (पदेन) |
| (घ) | श्री लाहूराज माली<br>आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, महाराष्ट्र सरकार,<br>महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, दूसरा तल, 28 प्रिंस गार्डन,<br>कोरेगांव पार्क रोड, पुराने सर्किट हाउस के पास, पुणे, महाराष्ट्र –411001<br>{राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), महाराष्ट्र के प्रतिनिधि}<br>(10/08/2018 तक)<br><br>डॉ (सुश्री) एम. गीता<br>सचिव (अध्यक्ष, सारा), महिला एंव बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार,<br>महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़–492002<br>(राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा), छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधि)<br>(10/08/2018 से 31/03/2019 तक) | सदस्य |
| (ड) | सुश्री विजन्दिरा बोई<br>निदेशक, महिला विकास एवं बाल कल्याण, तेलंगाना सरकार,<br>डी.नं.8–3–222, वेंगल राव नगर, अमीरपेट, स्टेट होम कैम्पस, यूसुफगुडा रोड,<br>हैदराबाद, तेलंगाना–599938<br>(शिशु गृह, महिला एंव बाल विकास विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)<br>(10/08/2018 तक)<br><br>डॉ (सुश्री) वंदना वर्मा<br>निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,<br>जवाहर भवन, आठवा तल, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001<br>(राजकीय बाल गृह, रामपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)<br>(10/08/2018 से 07/01/2019 तक की अवधि हेतु) | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| | सुश्री सी.इंदूमति<br>निदेशक, महिला एंव कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,<br>जवाहर भवन, आठवीं मंजिल, अशोक मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001<br>(राजकीय बाल गृह, रामपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)<br>(07/01/2019 से 31/03/2019 तक की अवधि हेतु) | |
| (च) | सुश्री गीताश्री अधिकारी<br>करुणा पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल कल्याण सोसाइटी,<br>234, श्री राम डांग रोड, साईकिया, हावडा, पश्चिम बंगाल– 711106<br>(पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)<br>(10/08/2018 तक)<br><br>डॉ. (सुश्री) प्राजक्ता कुलकर्णी<br>संस्थापक/निदेशक, स्नेहांकुर दत्तक ग्रहण केंद्र,<br>नवल एस्टेट, प्लाट नं.12, क्रम.सं 416/1, संदीप होटल के पास,<br>अहमदनगर–पुणे रोड, केडगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र–414005<br>(गैर–सरकारी संगठन द्वारा संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) की प्रतिनिधि)<br>(10/08/2018 से) | सदस्य |
| (छ) | श्री अविनाश कुमार<br>ओ–51, निवेदिता कुंज, सैक्टर–10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066<br>(दत्तक माता–पिता )<br>(10/08/2018 तक)<br><br>डॉ (सुश्री) मीना राधाकृष्णा<br>फ्लैट नं. 535, अनतारा, पुरूकुल रोड, गुनियाल गांव,<br>पो.ओ–सिनोला, देहरादून, उत्तराखंड–248003<br>(दत्तक माता–पिता)<br>(10/08/2018 से) | सदस्य |
| (ज) | सुश्री समीहा ग्रेवाल<br>जे–231, प्रथम तल, साकेत, नई दिल्ली–110017<br>(दत्तक)<br>(10/08/2018 तक)<br><br>सुश्री प्रिया श्रीनिवासन,<br>7039, बी–10, वंसत कुंज, नई दिल्ली–110070<br>(दत्तक)<br>(10/08/2019 से) | सदस्य |
| (झ) | सुश्री किरण सिंह<br>201–ए, डेल ब्लॉक, 1/2 वैभव खंड, इंदिरा पुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश<br>(वकील)<br>(10/08/2018 तक)<br><br>सुश्री अर्पणा भट्ट<br>ए–11, एलजीएफ, रियर साइड, नीति बाग, नई दिल्ली–110049<br>(वकील)<br>(10/08/2018 तक) | सदस्य |
| (ञ) | श्री दीपक कुमार<br>सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,<br>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार,<br>वेस्ट ब्लाक–8, विंग –2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066<br>(11/07/2016 से) | सदस्य सचिव<br>(सह–पदेन) |

## 1.3 कारा की सलाहकार समिति

**1.3.1** दिनांक 23/02/2017 के कार्यालय ज्ञापन सं सीडब्ल्यू –।। – 26/9/2016 – सीडब्ल्यू –।। के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतू कारा की सलाहकार समिति में समिति के गठन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि हेतु सलाहकार समिति का गठन किया है। जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 16 सदस्य शामिल है। इस बीच में, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लिए दिनांक 15/02/2018 और दिनांक 28/05/2018 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जिसमें एक अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कुल 13 और 24 सदस्यों के द्वारा दो बार सलाहकार समिति का पुनर्गणन किया गया। अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण इस प्रकार है–

| क्रम.सं. | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (1) | श्री एम. रामाचंद्र रेड्डी (हैदराबाद, तेलंगाना) | अध्यक्ष |
| (2) | श्री शिवानंद एम. डम्बल (बैंगलुरू, कर्नाटक) | सदस्य |
| (3) | श्री दुर्गेश केशवानी (भोपाल, मध्य प्रदेश) | सदस्य |
| (4) | श्री जोयदेव मजुमदार (कोलकाता, पश्चिम बंगाल) | सदस्य |
| (5) | श्रीमती सुषमा खरकवाल (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| (6) | श्री रूपाशेखर चोलापाचे (बेलगवी, कर्नाटक) | सदस्य |
| (7) | डॉ बाबूगोडा पाटिल (पणजी, गोवा) | सदस्य |
| (8) | सुश्री प्रियादर्शनी चोर्गे (कोल्हापुर, महाराष्ट्र) | सदस्य |
| (9) | सुश्री रेणुका विष्णु गुले (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) | सदस्य |
| (10) | सुश्री शीला बजाज (बैंगलुरू, कर्नाटक) | सदस्य |
| (11) | सुश्री निशा झा (पटना, बिहार) | सदस्य |
| (12) | सुश्री संध्या बजाज (संगम विहार, दिल्ली) | सदस्य |
| (13) | डॉ आर.आर. फुलिया, सेवानिवृत आईएएस (कुरूक्षेत्र, हरियाणा) | सदस्य |
| (14) | सुश्री सुतापा सानयाल, सेवानिवृत आईपीएस (नोएडा, उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| (15) | श्री जे.सी, मोहंती, सेवानिवृत आईएएस टजयपुर, राजस्थान) | सदस्य |
| (16) | श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत आईएएस (पटना, बिहार) | सदस्य |
| (17) | एडवोकेट सी.एस.डीआज (एरनाकुलम, केरल) | सदस्य |
| (18) | सुश्री इंदिरा मिश्रा, सेवानिवृत आईएएस (रायपुर, छत्तीसगढ़) | सदस्य |
| (19) | श्री चमाला भास्कर रेड्ढी (रंगारेड्डी, तेलगांना) | सदस्य |
| (20) | श्री सुनील यशवंत देवार्डे (कोलापुर, महाराष्ट्र) | सदस्य |
| (21) | ले.जनरल ए.आर. प्रसाद (बिहार) | सदस्य |
| (22) | सुश्री के. पुष्पलीला (हैदराबाद, तेलगांना) | सदस्य |
| (23) | डॉ श्रीनू गुण्डलापल्ली (नालगोंडा, तेलगांना) | सदस्य |
| (24) | प्रशासनिक अधिकारी, कारा | सदस्य–सचिव |

**नोट** – सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों को दिनांक 22/07/2019 के कार्यालय ज्ञापन सं सीडब्ल्यू–।।–26/9/2016–सीडब्ल्यू–।। के आदेशानुसार जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है।

### 1.4 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)

समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) को राज्य में बालकों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। इसे सारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में समन्वय, निगरानी और उसका विकास करने, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) की स्थापना में सहायता करने, ऐसे सभी अभिकरणों की एक व्यापक सूची का रख रखाव करने, यह सुनिश्चित करने कि बालकों के सभी दत्तक ग्रहण/स्थायी स्थानन विधि और दत्तक ग्रहण विनियम के अनुसार हों, जिला बाल संरक्षण एकक की सहायता से दत्तक ग्रहण योग्य बालकों का एक केंद्रीयकृत वेब आधारित डाटाबेस का रखरखाव करने, बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के साथ लिंकेज को बढ़ावा देने और एसएए के कार्य की निगरानी करने की भी अपेक्षा की जाती है। यह अभिकरणों और सीसीआई के बीच समन्वय भी सुनिश्चित करता है और दत्तक ग्रहण पूर्व तथा दत्तक ग्रहण के दौरान, दोनों के दौरान दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब का समाधान करने के प्रयास करता है। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों की सूची **परिशिष्ट–क** पर है। सारा से एसएए का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा और इसके साथ जैसे ही ऐसे अभिकरणों को मान्यता अथवा नवीनीकरण प्रदान किया जाए तो उसके पत्र और प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

### 1.5 जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू)

**1.5.1** डीसीपीयू समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित जिला बाल संरक्षण अभिकरण हैं। वे जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करने और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित करवाने के लिए उत्तरदायी हैं। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) या बाल देखरेख संस्था (सीसीआई) की सहायता से करते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि एसएए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट ओर चिकित्सा जांच रिपोर्ट दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी सेवाओं को स्वतंत्र घोषित होने की तारीख से 10 दिन में भीतर बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) पर अपलोड कर दी गई हो; दत्तक ग्रहण को सुकर बनाने के लिए उसी अथवा अन्य जिलों में एसएए के साथ बाल देखभाल संस्थान के लिंकेज को सुकर बनाया जायें और प्रत्येक दत्तक ग्रहण बच्चे की प्रगति को ट्रैक किया जाये।

1.5.2 इसके अतिरिक्त, डीसीपीयू से यह अपेक्षित है कि जहां कहीं आवश्यकता हो, वे सीडब्ल्यूसी की प्रत्यावर्तन के प्रयासों और समाचार–पत्रों में बालक के बारे में सूचना प्रकाशित करने, परिवीक्षा अधिकारी से सामाजिक जांच रिपोर्ट और एसएए की सहायता से पुलिस से अनुपलब्धता पता न लगाने योग्य रिपोर्ट प्राप्त करने में सहायता सहित दत्तक ग्रहण हेतु परित्यक्त बच्चों को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कराने की प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेंगे। संबंधित सारा के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जुड़े डीसीपीयू के राज्य वार आंकड़े **परिशिष्ट–ख** में दिए गए हैं।

### 1.6 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए)

1.6.1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65(1) के अनुसार, राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर–संस्थागत देखभाल के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालकों के पुर्नावास के लिए, प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति से, प्रत्येक जिले में एक अथवा अधिक संस्थाओं या संगठनों को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रुप में मान्यता देगी।

1.6.2 एसएए इसकी देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। एसएए दत्तक ग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास में और भावी दत्तक माता–पिता की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दत्तक ग्रहण किए जाने वाले प्रत्येक बालक के आनॅलाइन डाटाबेस का रख–रखाव करता है और बच्चों से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार करता है। यह भावी दत्तक माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट भी दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांत, 2015 में यथानिर्दिष्ट तरीके से तैयार करता हैं। वर्तमान में, दत्तक ग्रहण (देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण) में बालकों को रखने हेतु, उनके संबंधित राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी और गैर–सरकारी, दोनों प्रकार के अभिकरण

है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों के राज्य–वार आंकड़े **परिशिष्ट–ग** में दिए गए हैं।

## 1.7 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

1.7.1 कारा विदेशों में रह रहे भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) जिनमें अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई), एवं विदेशी नागरिक शामिल हैं, के आवेदनों को प्रयोजित करने के लिए विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। ये अभिकरण अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामलों की कार्रवाई करने हेतु प्राप्तकर्ता देशों में मान्यता प्राप्त अभिकरणों के रुप में जाने जाते हैं (हेग कन्वेंशन में यथा परिभाषित)। एएफएए से भारत से बच्चों का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक पीएपी को पंजीकृत करना और उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को जल्दी से पूरा करना; केंद्रीय प्राधिकरण से दत्तक ग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के बाद शीघ्र दत्तक ग्रहण सुनिश्चित करने हेतु एसएए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और ''दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांत, 2017'' में उनके लिए यथा अधिदेशित अन्य कार्यकलाप करना अपेक्षित होता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों के देश–वार आंकडे **परिशिष्ट–घ** पर संलग्न हैं।

## 1.8 केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) और विदेश में भारतीय राजनयिक (आईडीएम) मिशन–

1.8.1 हेग अनुसमर्थित कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण (कारा के समकक्ष) भारत से दत्तक–ग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता–पिता के मामलों को प्रायोजित एवं पंजीकृत करते हैं। कुछ गैर–हेग अनुसमर्थित देशों में, भारतीय राजनयिक मिशन अनिवासी भारतीय और प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण करने के मामलों को प्रयोजित करने में लगे हुए है।

**अध्याय : 2**

# गतिविधियां

## 2.1 बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स)

2.1.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय किशोर अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु ऑनलाइन केन्द्रीकृत संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी सहयोग से बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स),एक ई–गर्वनेंस पहल विकसित की है।

2.1.2 यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली एसएए/सीसीआई द्वारा बच्चों के ब्यौरों की प्रविष्टि करने के साथ–साथ भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए पंजीकरण के लिए एक पारदर्शी एंव पूर्ण रूप से स्वचालित प्रणाली उपलब्ध कराती है। यह शीघ्र और सुचारु दत्तक ग्रहण को सुकर बनाती है जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वित अभिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह पक्षकारों का नेटवर्क तैयार करती है, और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रख–रखाव करती है। केयरिंग्स राष्ट्रीय स्तर पर कारा द्वारा और राज्य स्तर पर सारा द्वारा और जिला स्तर पर डीसीपीयू द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया और दत्तक ग्रहण पश्चात प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

### 2.1.3 केयरिंग्स की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

(क) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना;

(ख) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में विलंब को कम से कम करना;

(ग) भावी दत्तक माता–पिता को सुविज्ञ निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना;

(घ) नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डाटाबेस से बुद्धिमतापूर्ण विश्लेषण प्राप्त करना;

(ड.) केंद्रीय स्तर पर कारा/राज्य स्तर पर सारा द्वारा दत्तक ग्रहण और दत्तक ग्रहण पश्च प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी प्रदान कर दत्तक ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना;

(च) अध्यवसायी नीति नियोजन के लिए एक डाटाबेस तैयार करना;

(छ) माता–पिता की देखभाल के बिना रह रहे बच्चों का पूरा डेटाबेस रखने के लिए दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल देखभाल संस्थाओं के बीच संपर्क बनाना ताकि उन्हें जल्द से जल्द परिवार में स्थापित किया जा सके।

(झ) बेहतर मिलान के लिए और दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता–पिता की सहायता करने के लिए उन्हें प्रासंगिक जानकारी और स्थिति ट्रैक उपलब्ध कराकर बच्चे और माता–पिता की प्रोफाइल बनाने में समर्थकृत करना।

### 2.1.4 केयरिंग्स के लाभ–

(क) केयरिंग्स देश भर में लगभग 469 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों, 625 जिला बाल संरक्षण एककों और 34 राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों को तथा प्राप्तकर्ता देशों के केंद्रीय प्राधिकरणों, 274 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरणों/ केंद्रीय प्राधिकरणों जैसे अंतराष्ट्रीय निकायों और विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों को भी कारा से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।

(ख) बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का केन्द्र बन चुकी है और ई–गर्वनेंस टूल के रूप में उत्कृष्टता हासिल कर चुकी है और इसे एक ऐसी प्रणाली या प्लेटफॉर्म के रूप में अभिहीत किया गया है जिसके द्वारा कानूनी दत्तक–ग्रहणों पर प्रक्रिया की जाएगी।

(ग) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार केयरिंग्स देश में और अंतरदेशीय बालक दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन,

निरीक्षण, निगरानी और मूल्याकंन के लिए सहायक रही है।

(घ) केयरिंग्स बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बावत सहयोग पर हेग कन्वेंशन, 1993 के अंतर्गत भारत एक हस्ताक्षरी देश है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की पुष्टि करती है और राष्ट्रीय कानूनों की भी पुष्टि करती है।

(ड) केयरिंग्स के प्रभाव को सभी स्तरों पर व्यापक रूप में स्वीकारा गया है तथा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में एक नई प्रणाली के रूप में इसकी सरहाना की जा रही है।

(च) वर्ष 2017 में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने केयरिंग्स पर एक ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत मॉड्यूल की शुरूआत की और इसे कारा की वेबसाइट www.cara.nic.in के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली एक शिकायत पंजीकरण और ट्रेकिंग प्रणाली है जो शिकायतों के पंजीकरण हेतु इंटरनेट, फोन और ई–मेल का उपयोग करती है।

(छ) इस प्रकार केयरिंग्स ने निम्नलिखित तरीकों से संगठन की सहायता की है–

(i) दत्तक ग्रहण प्रकिया की ऑनलाइन निगरानी से विभिन्न स्तरों पर विलंब को समझने और प्रणाली की खामियों को दूर करने में सहायता मिलती है;

(ii) डाटा विश्लेषण एक समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय लेने को संभव बनाता है;

(iii) केयरिंग्स पर दत्तक ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण;

(iv) भावी दत्तक माता–पिता का ऑनलाइन पंजीकरण;

(v) विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों का शीघ्र स्थापन;

(vi) दत्तक ग्रहण पश्चात ऑनलाइन अनुवर्ती कार्रवाई;

(vii) एसएए के साथ संपर्क के माध्यम से अन्य सीसीआई में स्थानन किए गए बच्चों का दत्तक ग्रहण;

(viii) देशीय दत्तक ग्रहण की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।

### 2.1.5 विभिन्न प्रचालित मॉड्यूल

(क) भावी दत्तक माता–पिता, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेतु देश में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु मॉड्यूल।

(ख) भावी दत्तक माता–पिता, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक, और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिरकरण हेतु अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण हेतु मॉड्यूल।

(ग) भावी दत्तक माता–पिता, सारा, डीसीपीयू एवं कारा हेतु देश में नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

(घ) सारा, डीसीपीयू, एएफएए एवं कारा हेतु अंतरदेशीय नातेदारी दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

(ड) भावी दत्तक माता–पिता, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण एकक और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेतु सौतेले माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण मॉड्यूल।

(च) शिकायत पोर्टल

(छ) अंतरदेशीय भावी दत्तक माता–पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की स्थिति का पता लगाने हेतु मॉड्यूल

2.1.6 समय की जरूरतों और आवश्यकता के आधार पर केंयरिंग्स में समय–समय पर उन्नयन किया गया है।

### 2.2 प्रशिक्षण और विकास

2.2.1 विभिन्न हितधारकों और सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों का उद्देश्य निम्नलिखित है–

(क) किशोर न्याय अधिनियम, 2015, समरूपी किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017, सरकार के द्वारा दत्तक ग्रहण और पोषक देखरेख से संबंधित की गई नीतिगत पहल मे यथा परिकल्पित देश में दत्तक ग्रहण करने और गैर–संस्थागत देखभाल कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए;

(ख) दत्तक ग्रहण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता हेतु बाल संरक्षण प्रणाली केयरिंग्स आदि में आईटी अनुप्रयोगों पर जानकारी देना;

(ग) बालक संरक्षण प्रणाली में विशेषकर माता–पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के लिए अभिशासन को बढ़ावा देना;

(घ) दत्तक ग्रहण सहित विभिन्न बाल संरक्षण मुद्दों को पहचानने के कौशल को सुदृढ़ बनाना;

(ङ) समन्वय तंत्र को मजबूत करने के लिए भागीदारी और संयुक्त आयोजना शुरू करने तथा दत्तक ग्रहण हेतु समन्वित वकालत को सुकर बनाना;

(च) प्रतिभागियों को अपने वर्ततान स्थिति में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अद्यतन दिशा–निर्देशों/नियमों की जानकारी देने तथा अपने क्षेत्रों में आवश्यक कौशल विकसित करने में सहायता करना;

(छ) एसएए–सीसीआई लिंकेज की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए मुद्दों को, देशीय/अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, एचएसआर/सीएसआर/एमईआर की तैयारियों विशेष जरूरतमंद/बड़े बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के साथ–साथ दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में हो रही देरी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना;

(ज) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान जरूरतों, मुद्दों, सामने आई चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारे में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त करना।

2.2.2 **कारा के विशेषज्ञों के एक पूल की उप समिति का गठन:** दिनांक 26 नवंबर 2018 को आयोजित की 18 वीं संचालन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डॉ. मीना राधाकृष्ण, सदस्य, संचालन समिति की अध्यक्षता में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा परामर्श और एचएसआर की तैयारी पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेषज्ञों की एक उप समिति का 11/01/2019 को गठन किया गया था। उप समिति की संरचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (क) डॉ. मीना राधाकृष्ण | – | अध्यक्ष |
| (ख) डॉ विनीता भार्गव | – | सदस्य |
| (ग) सुश्री नीना नायक | – | सदस्य |
| (घ) सुश्री सीमा खांडेकर | – | सदस्य |
| (ड़) सुश्री राधा नागेश | – | सदस्य |
| (च) डॉ नीलिमा मेहता | – | सदस्य |
| (छ) डॉ भवनीत भारती | – | सदस्य |
| (ज) सुश्री सिंधु नाइक | – | सदस्य |
| (झा) डॉ शोभा श्रीनाथ | – | सदस्य |
| (ञ) सुश्री कविता भंडारी | – | सदस्य |

2.2.3 दिनांक 15 जनवरी, 2019 को उप–समिति की पहली बैठक हुई और इस पायलट परियोजना के तहत दिनांक 14 से 16 मार्च, 2019 तक दिल्ली मे तीन दिनों का पहला आवासीय प्रशिक्षण नई दिल्ली क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया।

दिनांक 15 जनवरी, 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित उप–समिति की पहली बैठक

दिनांक 14 से 16 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ताओं की तीन दिवसीय आवासीय कार्यशाला

2.2.4 वर्ष 2018–19 के दौरान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 और दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के प्रावधानों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान उभर कर आए मुद्दों/सरोकारों को हल करने के संबंध में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, संचेतना कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। उपरोक्त चर्चा के विवरण निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं–

| क्रम.सं. | कार्यक्रम का ब्यौरा | वर्ष 2018–19 के दौरान किए गये कार्यक्रम के संख्या |
|---|---|---|
| (क) | राज्य सरकारों/ केंद्र शासित राज्यों के सहयोग से कारा द्वारा बहु–पक्षकारों के लिए दत्तक ग्रहण पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम | 12 |
| (ख) | केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम | 03 |
| (ग) | एसएए और डीसीपीयू के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन आवासीय प्रशिक्षण | 01 |
| (घ) | पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी, कोलकाता में दत्तक ग्रहण के मुद्दों पर संवेदनशीलता के लिए जिला व परिवार न्यायालयों के न्यायधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम | 01 |
| (ङ) | प्रवासी भारतीय केंद्र 2018–19 में एसएआरए के लिए पुनरीक्षण बैठक तथा नये केयरिंग्स का परिचय | 01 |
| (च) | केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का वार्षिक महोत्सव, 2019 | 01 |

2.2.5 **दत्तक ग्रहण पर बहुहितधारकों के लिए राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम– जिनमें** बहु–हितधारक प्रतिभागियों के लिए राज्य स्तरीय अभिविन्यांस कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए), जिला बाल संरक्षण एककों(डीसीपीयू), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, दत्तक ग्रहण मामलों से संबंधित राज्य सरकार के विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय के प्रतिनिधि, निपसिड के संकाय तथा दत्तक माता–पिता शामिल हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए :

| कम.सं | कार्यकम की तिथि | स्थान | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| (क) | 25 और 26 जून, 2018 | रायपुर, छत्तीसगढ | 181 |
| (ख) | 10 जुलाई, 2018 | 'चण्डीगढ़, पंजाब | 60 |
| (ग) | 17 सितम्बर, 2018 | 'चण्डीगढ़, पंजाब | 200 |
| (घ) | 09 अक्टूबर, 2018 | पटना, बिहार | 162 |
| (ङ) | 27 नवंबर, 2018 | दीव (यूटी) | 100 |
| (च) | 22 दिसम्बर, 2018 | रायपुर, छत्तीसगढ़ | 219 |
| (छ) | 04 जनवरी, 2019 | बेलगावी, कर्नाटक | 416 |
| (ज) | 04 जनवरी, 2019 | सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल | 131 |
| (झ) | 18 जनवरी, 2019 | 'चण्डीगढ़, हरियाणा | 70 |
| (ञ) | 23 जनवरी, 2019 | पुदुचेरी (यूटी) | 110 |
| (ट) | 19 फरवरी, 2019 | 'दिल्ली (यूटी) | 48 |
| (ठ) | 14 मार्च, 2019 | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 116 |

*हालांकि ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये गए थे, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने अपने संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से सुविधा प्रदान की ।

25 और 26 जून, 2018 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में

10 जुलाई, 2018 को चण्डीगढ़, पंजाब

17 सितम्बर, 2018 को चण्डीगढ़, पंजाब में

09 अक्टूबर, 2018 को पटना, बिहार में

27 नवंबर, 2018 को दीव में

22 दिसंबर, 2018 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में

04 जनवरी, 2019 को सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में

04 जनवरी, 2019 को बेलागवी जिला, कर्नाटक में

18 जनवरी 2019 को चण्डीगढ़, हरियाणा में

23 जनवरी, 2019 को पुदुचेरी में

19 फरवरी, 2019 को दिल्ली में

14 मार्च, 2019 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में

2.2.6 **इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमः** कारा ने परामर्शदाताओं और युवा पेशेवरों के नए नियुक्त संविदात्मक कर्मचारियों तथा कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 के बारे में उन्मुखीकरण करते हुए इन–हाउस प्रशिक्षण आयोजित किए।

| क. सं | कार्यक्रम की दिनांक | कार्यक्रम का विवरण | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| (क) | 18 सिंतबर, 2018 और 26 अक्टूबर, 2018 | केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में दत्तक ग्रहण कानूनों पर जेईएमटीईसी विवि स्कूल के एलएलबी पाठ्यक्रम के दूसरे तथा तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए एक सप्ताह अभ्यास प्रशिक्षण | 113 |
| (ख) | 18 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 2018 | दत्तक ग्रहण कार्यक्रम और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए सूचीबद्ध संविदा कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह की अवधिका आयोजित प्रशिक्षण | 12 |
| (ग) | 02 फरवरी, 2019 | केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में मांइड मैनेजमेंट और कार्यालयी पद्धतियों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई और इसका आयोजन कार्यों श्री रिपू सदन, आर्ट ऑफ लिविंग, कोलकाता के द्वारा किया गया। | 56 |

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 व 26 अक्तूबर, 2018 को जेईएमटीईसी स्कूल ऑफ लॉ के दूसरे और तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए आयोजित अभ्यास प्रशिक्षण

दिनांक 18 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित सूचीबद्ध संविदा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रिपू सदन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा मांइड मैनेजमेंट और कार्यालयी पद्धतियों पर एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 को जेईएमटीईसी स्कूल ऑफ लॉ के दूसरे और तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अभ्यास प्रशिक्षण

**2.2.7 वर्ष 2018–19 के दौरान एसएए और डीसीपीयू के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीन आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला** –

समाजिक कार्यकर्ताओं की तीन विसीय कार्यशालाओं के माध्यम से पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने की पायलट परियोजना के तहत डीसीपीयू और क्षेत्र के सभी एसएए के सामाजिक कार्यकताओं के लिए राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में पहला प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

| क. सं | कार्यक्रम की तिथि | राज्य | शहर | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (क) | 14–16 मार्च, 2019 | दिल्ली | दिल्ली | 53 |

**2.2.8 दत्तक ग्रहण के मुद्दों पर संवेदीकरण के लिए जिला और परिवार न्यायलय के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**– दिनांक 11 अगस्त, 2018 को राज्य न्यायिक अकादमी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में संकाय और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों (जिला न्यायालय के विद्वत जिला न्यायाधीशों एवं अपर जिला न्यायधीशों और परिवार न्यायालयों के प्रमुख न्यायाधीशों) के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ संयुक्त निदेशक, कारा ने संसाधन व्यक्तियो के रूप में भाग लिया।

| क्र. सं | कार्यक्रम की तिथि | कार्यक्रम का विवरण | स्थान | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| (क) | 11 अगस्त, 2018 | पश्चिम बंगाल न्यायिक अकादमी, कोलकाता में जिला और परिवार न्यायलय के न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम | कोलकाता | 40 |

### 2.2.9 राज्यों एंव केंद्र भाासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक तथा नये केयरिंग्स का परिचय–

कारा ने दिनांक 30 जुलाई, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में राज्यों एंव केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। सभी राज्यों/केंन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव, जो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) के अध्यक्ष हैं और संबंधित विभाग के निदेशक, जो सारा के सदस्य सचिव हैं, बैठक में आमंत्रित किये थे। बैठक के निम्नलिखित उद्देश्य थे–

(क) राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की समीक्षा प्रगति करना

(ख) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे दत्तक ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों एवं सहकारों और विशेषकर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों, जिला बाल संरक्षण एककों और बाल कल्याण समितियों की भूमिका पर चर्चा करना।

(ग) दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को आगे और सरल बनाने, विनियमित करने और उसमें तेजी लाने के लिए अच्छी प्रथाओं और आगे की योजना को साझा करना।

(घ) एनआईसी द्वारा नए केयरिंग्स पोर्टल का परिचय देना।

मननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में 'राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन' पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक।

2.2.10 **दिनांक 15 जनवरी, 2019 को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का चौथा वार्षिक दिवस समारोह**– केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने दिनांक 15 जनवरी, 2019 को भारतीय अंतराष्ट्रीय केंद्र में चौथे वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण 15 जनवरी, 2016 की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधिनियम के साथ महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय बना। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का वार्षिक दिवस समारोह में राज्य सरकारों के अधिकारियों, दिल्ली की राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण/जिला बाल सरंक्षण एकक/बाल कल्याण समिति के प्रतिनिधियों, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की सलाहाकार समिति के सदस्यों, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्यों, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सभी सांविधिक निकायों (एनसीपीसीआर, निपसिड, एनसीडब्लयू, सीएसडब्ल्यूबी, आरएमके) के अध्यक्षों, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों तथा परामर्शदाताओं ने भाग लिया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का वर्ष 2019 का वार्षिक कैलेंडर स्मारिका का विमोचन अध्यक्ष, संचालन समिति तथा महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उदयन घर, नई दिल्ली के बच्चों के द्वारा वंदना और अलग–अलग संगीतमय प्रस्तुति दी गई।

## 2.3 निरीक्षण एवं निगरानी

2.3.1 यह देखने के लिए कि सभी सहयोगी अभिकरण किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 में यथा अनुबंधित अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, कारा एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 के दौरान दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण किया। वर्ष 2018–19 के दौरान, कारा और महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय दौरों के अलावा अधिनियम, नियम एवं विनियम में अधिदेशित कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए देश भर में 91 निरीक्षण/दौरे किए। निरीक्षण/दौरे निम्नलिखित की संवीक्षा अथक जांच करने के लिए किए गए–

(क) एजेंसी इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों व भूमिका का कुशलता से निर्वहन कर रही है;

(ख) कि दत्तक ग्रहण, संगठन द्वारा बच्चों के हित में कल्याणकारी गतिविधि के रूप में देखा जाता है न कि एक वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में;

(ग) वास्तव में देशीय तथा अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों की कुल संख्या और ब्यौरा;

(घ) बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित रिकॉर्ड, उनके प्रवेश से लेकर कानूनी दत्तक ग्रहण की डिक्री तक और अनुवर्ती प्रगति के साथ–साथ संबंधित रजिस्टर;

(ड) क्या बच्चों के दत्तक ग्रहण में स्थानन के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा शीघ्र और पर्याप्त प्रयास किए गए हैं;

(च) क्या एजेंसी ने वार्षिक रिपोर्ट, खातों के लेखा परीक्षित विवरण और मासिक रिपोर्टें राज्य सरकार या राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी को और प्राधिकरण को दत्तक ग्रहण के आंकड़े नियमित रूप से और निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किये है;

(छ) क्या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी नियमित रूप से समय पर बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में आंकडे और रिपोर्ट अघतन कर रही है;

(ज) क्या विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी इन विनियमों और बाल देखभाल के न्यूनतम मानक अनुसूची 13 में यथा निर्दिष्ट होंगे। यथा उपबंधित संस्था में गुणवतापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं का रख–रखाव द्वारा प्रदान कर रही है;

(झ) भावी दत्तक माता–पिता द्वारा भुगतान की गई फीस और दत्तक ग्रहण फीस के उपयोग के रसीद व वित्तीय रिकॉर्ड;

(ञ) क्या विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के कदाचार का कोई मामला सामने आया है।

2.3.2 किए गए निरीक्षणों का सार नीचे तालिकाबद्ध किया है–

| क्र. सं. | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | दत्तक ग्रहण अभिकरण की संख्या जिनका निरीक्षण / दौरा किया गया |
|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 3 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 20 |
| 4 | तेलंगाना | 3 |
| 5 | हरियाणा | 1 |
| 6 | उत्तराखंड | 1 |
| 7 | बिहार | 1 |
| 8 | असम | 1 |
| 9 | अरूणाचल प्रदेश | 1 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 7 |
| 11 | महाराष्ट्र | 27 |
| 12 | गुजरात | 9 |
| 13 | कर्नाटक | 4 |
| 14 | राजस्थान | 1 |
| 15 | तमिलनाडु | 2 |
| 16 | ओडिशा | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | छत्तीसगढ़ | 1 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 19 | झारखंड | 1 |
| 20 | सिक्किम | 1 |
| 21 | मेघालय | 1 |

सलाहाकार समिति के सदस्य द्वारा कर्नाटक के कालाबुरागी में एसएए का निरीक्षण

सलाहाकार समिति के सदस्य द्वारा बीदर, कर्नाटक में एसएए का निरीक्षण

दिनांक 13 अगस्त, 2018 को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, पालीश्री महिला समिति, गरापुर, ओडिसा का निरीक्षण

दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को सलाहाकार समिति के सदस्य श्री जे.सी मोहंती का बरीपादा, ओडिसा का दौरा

दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को बाल देखभाल संस्थान आर्या अंथल्या का निरीक्षण

दिनांक 24 नवंबर, 2018 को होली कॉस सोसाइटी, नई दिल्ली का निरीक्षण

**2.4 प्रचार एवं जागरूकता**

2.4.1 केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 में यथाविनिर्दिष्ट या तो स्वयं या अपने सहयोगी निकायों के माध्यम से दत्तक–ग्रहण एवं अन्य गैर संस्थागत बाल देखभाल सेवाओं को प्रोत्साहित करने की वकालत करने, जागरूकता पैदा करने एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में भी लगा हुआ है। वर्ष 2018–2019 के दौरान मीडिया में विज्ञापन देने व प्रचार करने के क्रियाकलापों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :–

(क) कारा 15 मई, 2018 में फेसबुक पर सीईओ, कारा के साथ प्रश्न एवं उत्तर लाइव के माध्यम से आम लोगों से और 27 अप्रैल, 2018 को भावी दत्तक माता–पिताओं के साथ जनसंपर्क के माध्यम से जुड़ा। 15 मई, 2018 को लाइव प्रश्न एवं उत्तर सत्र में कुल 13568 लोगों ने कारा से संपर्क किया। 27 अप्रैल, 2018 को आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से लगभग 70 भावी दत्तक माता–पिताओं ने भाग लिया।

(ख) ''देशों के बीच केन्द्रीय प्राधिकारणों की उचित पद्धतियों एवं सहयोग पर गोलमेज सम्मेलन'' के लिए 25 मई, 2018 को 13वें ईयूआरएडॉप्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। कारा के सीईओ ने मिलान, इटली में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित किया एवं भारत में अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण के नियमों, विनियमों एवं दत्तक ग्रहण की पद्धतियों के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से समझाया।

(ग) कारा ने स्कॉच कंसल्टैंसी एंड सविर्सेस प्रा. लिमिटेड द्वारा 22 जून, 2018 को आयोजित उभरते भारत की स्थिति पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी जैसी विभिन्न प्रदर्शनियों एवं 26 अक्तूबर से 4 नवंबर, 2018 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैविक उत्सव में सहभागिता करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

(घ) कारा ने अंतर्राष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण माह नवंबर के दौरान कानूनी दत्तक ग्रहण पर संदेश का प्रसार किया जिसे देश भर के 41 समचार पत्रों में 18 नवंबर, 2018 को एक विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दत्तक–ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया गया।

(ङ) विभिन्न राष्ट्रीय टेलीविजन चैनलों ने कानूनी दत्तक ग्रहण के महत्व पर लोगों को संदेश देने के साथ बच्चों को गोद लेने की उन प्रक्रियाओं एवं उपायों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिन्हें सरकार सुगम बना रही है। कारा एवं एमडब्ल्यूसीडी के अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।

(च) बाल न्याय अधिनियम पर जागरूकता बालकों की देखभाल व संरक्षण और कानून का उल्लंघन सामना करने वाले बालकों की कानून कैसे सहायता करता है विषय पर 20 जुलाई, 2018 को दूरदर्शन नेशनल पर 'बातें जीत की' कार्यक्रम का प्रसारण हुआ।

(छ) राज्य सभा टीवी पर 24 सितंबर, 2018 को एक अन्य कार्यक्रम 'देश–देशांतर' – गोद लेने के नियम व सरोकारः का भी प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में देश एवं अंतर–देशीय दत्तक–ग्रहण दोनों के लिए गोद लेने की प्रक्रिया शामिल थी।

(ज) बाल दिवस (14 नवंबर, 2018) को आकाशवाणी समाचार न्यूज हिंदी ने 'चर्चा का विषय है' का प्रसारण किया जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा ने गोद लेने में किए गये कानूनी प्रावधानों पर चर्चा में भाग लिया।

(झ) 15 नवंबर, 2018 को दूरदर्शन राष्ट्रीय पर 'द न्यू इंडिया संकल्प' कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसमें किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत किए जा रहे सरकारी प्रावधानों पर चर्चा की गई थी।

(ञ) कारा ने 25 से 27 जनवरी, 2019 तक झुंझनू, राजस्थान में आयोजित 'सबका साथ, सबका विकास'' के विषय पर साईमी सेशिएल डेवलेपमैंट द्वारा 'स्रजन' नामक राष्ट्रीय एक्स्पो एवं संगोष्ठी में भाग लिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा के साथ सोशल मीडिया पर दिनांक 15 मई, 2018 को आयोजित लाइव प्रश्नोत्तर

दिनांक 27 अप्रैल, 2018 को भावी दत्तक माता–पिता के लिए जन संपर्क पहल

25 मई, 2018 को मिलान में इटैलियन सेंट्रल अर्थॉर्टी (सीएआई) एवं 13वें ईयूआरएडॉप्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आमंत्रण पर सीईओ, कारा लाइव

18 नवंबर, 2018 (अंतर्राष्ट्रीय दत्तक–ग्रहण माह) के अवसर पर कानूनी दत्तक ग्रहण पर जोर देते हुए देश भर में 41 समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन

22 जून, 2018 को कारा ने स्कॉच कंसल्टैंसी एंड सर्विसेस प्रा. लिमिटेड द्वारा आयोजित उभरते भारत की स्थिति पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में 26 अक्तूबर से 4 नवंबर, 2018 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जैविक उत्सव, 2018 में कारा

किशोर न्याय अधिनियम पर जागरूकता–विषय पर 20 जुलाई, 2018 को दूरदर्शन पर प्रसारित 'बातें जीत की' कार्यक्रम। दीपक कुमार, सीईओ, कारा, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय को श्री राजेश कुमार, अवर सचिव एवं श्री मनोज कुमार सिंह, निदेशक विशेषज्ञ पैनलिस्ट को रूप में उपस्थित थे।

14 नवंबर, 2018 को दूरदर्शन चैनल पर किशोर न्याय अधिनियम पर जागरूकता एवं कानून बालकों की देखभाल व संरक्षण के अलावा कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों कैसे सहायता करता है, विषय पर 'न्यू संकल्प इंडिया' प्रसारित कार्यक्रम में श्री आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, एमडब्ल्यूसीडी, श्री दीपक कुमार, सीईओ, कारा अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुए।

देश देशांतर गोद लेने के नियम और सरोकार दिनांक 24 सितंबर, 2018 को राज्य सभा के चैनल पर दत्तक ग्रहण नियम और सरोकार

15 नवंबर, 2018 को दूरदर्शन नेशनल पर का 'चर्चा का विषय' कार्यक्रम में न्यू इंडिया संकल्प

27 अगस्त, 2018 को दत्तक ग्रहण के बारे में लोक सभा टीवी पर प्रसारित 'मेरे घर आई एक नन्ही परी' कार्यक्रम

'प्यारी परी' दत्तक ग्रहण पर भारत की पहली पोडकास्ट कथा है। माता–पिता प्रिया और राकेश की मेजबानी मे 'प्रिया परी'श्रोताओं को उनकी दत्तक ग्रहण की यात्रा पर ले जाएगी और इससे जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिनाक 22 सितंबर, 2018 को श्री दीपक कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा का पोडकास्ट साक्षात्कार

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने 25 से 27 जनवरी, 2019 तक राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित 'सबका साथ सबका विकास' के मोटो पर सामाजिक विकास द्वारा राष्ट्रीय एक्सपो और सेमिनार में भाग लिया।

**2.4.2 हौसला 2018** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 26 नवंबर से 29 नवंबर, 2018 तक बाल दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर हौसला, 2018 का आयोजन किया। इस वार्षिक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्‌घाटन निपसिड (राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास) संस्थान में सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया। जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं इसके संबद्ध निकायों के अन्य अधिकारीगण भी शामिल थे। इसमें देश भर में मौजूद बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों को समारोह मनाने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक, अकादमिक एवं खेलकूद की गतिविधियों में अपनी योग्यता का अनूठा प्रदर्शन किया। यह चार दिवसीय कार्यक्रम था जिसमें देश भर के 19 राज्यों के 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। कारा ने बाल सुरक्षा पर चित्रकारी प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें एएसएसआईटीईजे इंडिया के माध्यम से आयोजित किए जा रहे 'कहानी सुनाना' सत्र एवं केंब्रिज डीएवी, पुष्पांजलि, दिल्ली के छात्रों द्वार प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ कुछ आश्‍चर्यजनक प्रतिभाएं देखी गई। इस वर्ष समारोह व क्रियाकलाप बाल सुरक्षा के विषय पर केन्द्रित थे। इस कार्यक्रम की झलकः

2.4.3 **कारा वार्षिक कैलेंडर 2019 एवं कारा स्मारिका का विमोचनः** कारा का वार्षिक कैलेंडर, 2019 का विमोचन एमडब्ल्यूसीडी के अन्य अधिकारियों के साथ–साथ कारा की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा किया। इस समारोह में उद्यान घर, नई दिल्ली के बच्चों ने वंदना एवं अलग–अलग गीत–संगीत प्रस्तुत किये।

**2.5 महत्वपूर्ण परिपत्र एवं एडवाईजरी**

2.5.1 गोद लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक विभिन्न पणधारकों जिनमें राज्य सरकारें, बाल कल्याण समितियां, डीसीपीयू, न्यायालय इत्यादि शामिल हैं को कारा/एमडब्ल्यूसीडी द्वारा अनेक परिपत्र व एडवाईजरी जारी की गई। ये सभी परिपत्र एवं परामर्शी सूचनाएं कारा की वेबसाइट पर डाली गई हैं और कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र एवं एडवाईजरी परिशिष्ट–च में दी गई हैं।

**2.6 अन्य पहलें, उपलब्धियां एवं प्रशस्तिः**

2.6.1 **शुरू की गई महत्वपूर्ण नीति/कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां**

(क) **40 वर्ष से अधिक आयु वाली एकल महिला पीएपी को समय–पूर्व वरिष्ठता** : 16वीं संचालन समिति ने आर्थिक रूप से समर्थ सभी एकल महिला पीएपी को 06 माह की पूर्वदिनांकित वरिष्ठता प्रदान की है। हालांकि इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्हें बड़े बच्चों को गोद लेने में परामर्श दिया जाए।

(ख) **चिकित्सा विशेषज्ञों की अतिरिक्त बैठकें:** पीएपी को रैफर किए गए/उनके द्वारा आक्षित बच्चों के स्वास्थ्य एवं वर्गीकरण के विगत अभ्यावेदन के मामलों की भारी संख्या देखते हुए 17वीं संचालन समिति ने पीएपी द्वारा की गई अपील के मामले में बच्चे के वर्गीकरण पर निर्णय देते के लिए एम्स के चिकित्सा विशेषज्ञों को अतिरिक्त बैठकों का अनुमोदन किया है।

(ग) **विशेष आवश्यकता वाले एवं बड़े बच्चों का पुनर्वास** : कारा देखरेख एवं सरंक्षण की ऐसे बच्चों की जरूरतों को मानते हुए यथाशीघ्र विशेष आवश्यकता एवं त्वरित स्थानन पोर्टल के माध्यम से इन वर्गों के अतंर्गत आने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण को सकुर बनाता है। इन पोर्टलों के माध्यम से वर्ष 2018–19 में विशेष आवश्यकता वाले 403 बच्चों को एवं 302 ऐसे बच्चों को जिन्हें केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से गोद लेने में कठिनाई आ रही थी।

(घ) **एसएए/सीसीआई लिंकेज की संख्या** : माता–पिता की देखरेख के बिना रह रहे प्रत्येक बच्चें तक पहुंच बनने के विचार से विशिष्ट

दत्तक–ग्रहण अभिकरणों (एसएए) एवं बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के बीच लिंकेज स्थापित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहता है। सभी सीसी. आई के पंजीकरण एवं लिंकेज की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से केन्द्र समय–समय पर राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही परिपत्र जारी कर चुका है। 31 मार्च, 2019 तक एसएएए के साथ कुल 5479 सीसीआई जुड़ चुके हैं।

(ङ) **कारा हेल्पलाइनः** पीएपी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तीन टेली काउंसलरों के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800–111–111 शुरू किया गया था। टेली काउंसलरों को औसतन प्रतिदिन 200 कॉल आ रहे हैं एवं संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ इस सुविधा का आउटसोर्स के माध्यम से उन्नयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में हेल्पलाइन के माध्यम से 26495 प्रश्नों का निवारण किया गया।

2.6.2 **उपलब्धियां एवं प्रशंसाः** यद्यपि उपलब्धियों की मात्रा का आंकलन नहीं किया जा सकता है, वर्ष 2018–19 के दौरान हासिल की गई कुछ उपलब्धियों की नीचे उल्लेख किया गया है :–

(क) कारा नियम व विनियम, 2018 : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुमोदन से संचालन समिति द्वारा 15/10/2018 को आयोजित इसकी 17वीं बैठक में कारा नियम व विनियम, 2018 अंगीकार किए गये चूंकि कारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कानून से सांविधिक निकाय बन गया है।

(ख) केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 नये पदों को जिसमें से 15 पद वर्ग 'क' के समकक्ष अधिकारीगण हैं सृजित करने का अनुमा. `दन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की डायरी संख्या 1119 दिनांक 16/11/2018 की सहमति के साथ पत्र संख्या सीडब्ल्यू–।। 26/2015–ओ/ओ यूएस (सीडब्ल्यू–।।) दिनांक 15/11/2018 के द्वारा किया गया है।

(ग) कारा के भर्ती नियम : वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नये स्वीकृत पदो के आधार पर कारा के भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 69(3)(ग) के अनुसरण में, संचालन समिति ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुमोदन से 26/11/2018 को आयोजित अपनी 18वीं बैठक में संशोधित भर्ती नियम, 2018 अंगीकृत किए है।

(घ) केयरिंग्स का उन्नयनः लगभग 480 पंजीकृत विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरणों सहित सभी पण धारकों के साथ केयरिंग्स के माध्यम से ऑनलाइन दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया का पूरी तरह कार्यान्वयन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

(ङ) पीएपी को कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने के बारे में संवेदनशील बनाने एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए केयरिंग्स उपयुक्त एवं पात्र पीएपी (23500 से अधिक) का विशाल समूह बन गया है।

(च) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता मॉड्यूल के माध्यम से एवं ऐसे बच्चों को जिनके स्थानन में कठिनाई आती है त्वरित प्लेसमैंट मॉड्यूल के माध्यम से पुनर्वास का फॉस्ट ट्रैक पर काम करना।

(छ) **स्कॉच ऑर्डर–ऑफ–मेरिट पुरस्कार, 2018:** 'बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना एंव मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)' एवं 'देश में अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं कल्याण में कार्यान्वित दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम' को स्कॉच गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पूर्व, 23 जून, 2018 को भी कारा को अभिशासन हेतु स्कॉच अवार्ड, 2018 एवं 'बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना एंव मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)' को लिए दो स्कॉच अवार्ड, ऑर्डर–ऑफ–मेरिट पुरस्कार प्रदान किए गये थे।

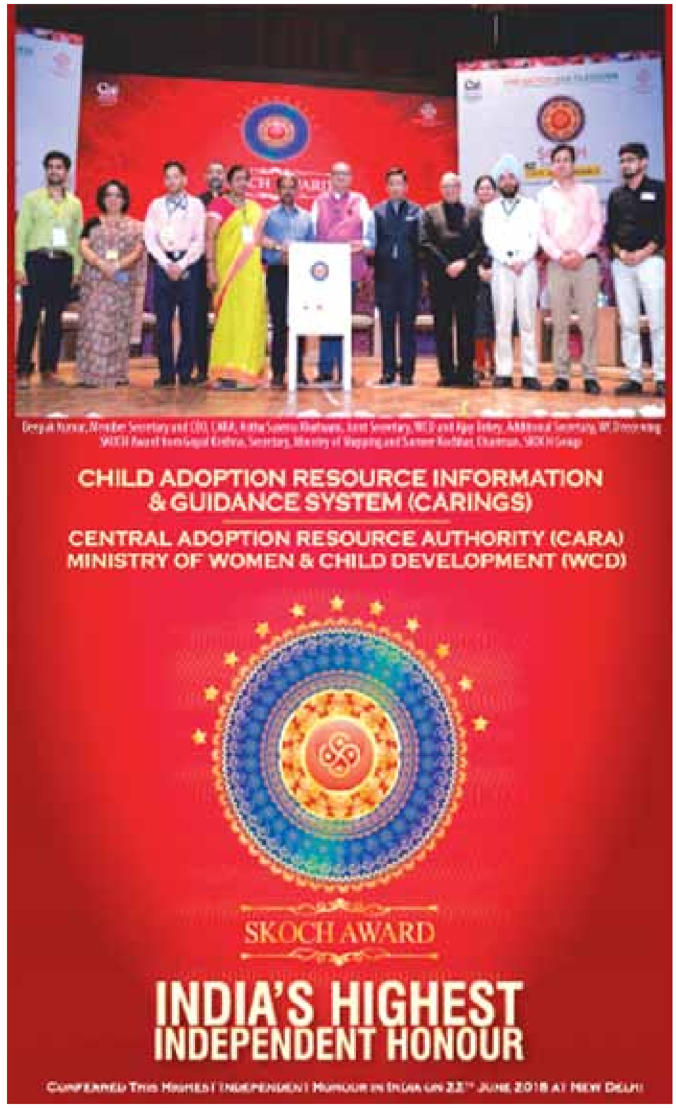

अध्याय : 3

# वैधानिक अनुपालन

**3.1 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 से संबंधित जानकारी :**

3.1.1 कारा में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं एक अपीलीय प्राधिकारी (एए) है।

3.1.2 वर्ष 2018–19 के दौरान, कारा को कुल 106 ऑनलाइन/ऑफलाइन सीधे हस्तांतरित आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। 106 आरटीआई आवेदनों में से, सीपीआईओ कारा ने वर्ष 2018–19 के दौरान 105 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया (निपटान/हस्तांतरित)। वर्ष 2018–19 के दौरान, सीपीआईओ कारा ने वर्ष 2016–17 और 2017–18 के 21 लंबित आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया और वर्ष 2018–19 के दौरान, वर्ष 2017–18 01 लंबित अपील आवेदन का भी उत्तर जारी किया।

3.1.3 इसके अलावा, कारा को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कुल 06 ऑनलाइन/ऑफलाइन अपील आवेदन (सीधे/हस्तांतरित) और 01 द्वितीय अपीलीय आवेदन जो सीआइसी में दायर किया गया है, प्राप्त हुए। 06 अपील आवेदनों में से, अपीलीय प्राधिकरण (कारा) ने 6 अपील आवेदनों का उत्तर दिया और वर्ष 2017–18 के 01 अपील आवेदन का उत्तर भी वर्ष 2018–19 के दौरान जारी कर दिया है।

3.1.4 सूचना का अधिकार आवेदनों और सूचना का अधिकार अपील आवेदनों का तिमाही वार विवरण नीचे दिया गया है–

(क) सूचना का अधिकार आवेदन–

(31/03/2019 की स्थिति)

| तिमाही | ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त आरटीआई की संख्या(सीधे/हस्तांतरित) | हस्तांतरित/निपटान की गई ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या लंबित | ऑनलाइन/ऑफलाइन आरटीआई की संख्या जिन्हें अगली तिमाही में अग्रेशित किया गया |
|---|---|---|---|
| प्रथम तिमाही | 27 | 18 | 30 |
| द्वितीय तिमाही | 36 | 61 | 05 |
| तृतीय तिमाही | 25 | 22 | 08 |
| चतुर्थ तिमाही | 18 | 25 | 01 |
| **योग** | **106** | **126** | ... |

**नोट**– वर्ष 2018–19 के दौरान, सीपीआईओ ने वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 की लंबित बकाया 21 आरटीआई आवेदनों का उत्तर दिया तथा 2018–19 की लंबित 01 आरटीआई आवेदन का निपटान भी वर्ष 2019–2020 के दौरान किया गया।

(ख) सूचना का अधिकार अपील –

(31/03/2019 की स्थिति)

| तिमाही | ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त अपीलों की संख्या(सीधे/हस्तांतरित) | हस्तांतरित/निपटान की गई ऑनलाइन/ऑफलाइन अपीलों की संख्या लंबित | लंबित ऑनलाइन/ऑफलाइन अपीलों की संख्या जिन्हें प्रत्युत्तर अगली तिमाही के लिए अग्रेशित किया गया |
|---|---|---|---|
| प्रथम तिमाही | 02 | 02 | 01 |
| द्वितीय तिमाही | 03 | 04 | 00 |
| तृतीय तिमाही | 01 | 01 | 00 |
| चतुर्थ तिमाही | 00 | 00 | 00 |
| **योग** | **06** | **07** | ... |

**नोट**– वर्ष 2018–19 के दौरान, वर्ष 2017–18 की 01 लंबित अपील आवेदन का भी अपीलीय प्राधिकारी (कारा) ने उत्तर दिया।

**3.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी–**

3.2.1 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक आंतरिक समिति हैं जिसमें (1) श्रीमती विनिता झा, सहायक निदेशक, कारा –अध्यक्ष (2) श्रीमती ऋचा ओझा, प्रशासनिक अधिकारी, कारा और (3) श्री एस.के. गुप्ता, लेखाधिकारी, कारा सदस्य हैं। इस समिति का कार्यकाल दिनांक 12/04/2018 से तीन वर्ष की अवधि तक है।

3.2.2 वर्ष 2018–19 के दौरान, समिति को, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कारा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय : 4

# आंकड़ा आधार

**4.1 अंतिम तीन वर्षों के समेकित दत्तक ग्रहण आंकडे :**

| दत्तक ग्रहण | 2016.2017 | 2017.2018 | 2018.2019 |
|---|---|---|---|
| देशीय | 3210 | 3276 | 3374 |
| अंतरदेशीय | 578 | 651 | 653 |

**4.2 वर्ष 2018–19 हेतू राज्य और लिंग–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण) आंकडों का विवरण निम्नानुसार है–**

| क्रम सं. | राज्य और केंद्र शासित प्रदेश | देशीय | | | अंतरदेशीय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 35 | 56 | 91 | 6 | 16 | 22 |
| 2. | असम | 43 | 67 | 110 | 1 | 4 | 5 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 34 | 98 | 132 | 4 | 17 | 21 |
| 5. | चंडीगढ़ | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 45 | 47 | 92 | 7 | 11 | 18 |
| 7. | दिल्ली | 42 | 78 | 120 | 8 | 25 | 33 |
| 8. | गोवा | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | गुजरात | 84 | 68 | 152 | 11 | 11 | 22 |
| 10. | हरियाणा | 23 | 35 | 58 | 4 | 10 | 14 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | झारखंड | 33 | 49 | 82 | 3 | 7 | 10 |
| 13. | कर्नाटक | 107 | 130 | 237 | 16 | 28 | 44 |
| 14. | केरल | 71 | 63 | 134 | 5 | 4 | 9 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 88 | 115 | 203 | 12 | 24 | 36 |
| 16. | महाराष्ट्र | 305 | 390 | 695 | 63 | 87 | 150 |
| 17. | मणिपुर | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मेघालय | 8 | 17 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | मिजोरम | 7 | 15 | 22 | 4 | 6 | 10 |
| 20. | नागालैंड | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | ओड़िसा | 90 | 118 | 208 | 13 | 23 | 36 |
| 22. | पुडुचेरी | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | पंजाब | 16 | 50 | 66 | 10 | 17 | 27 |
| 24. | राजस्थान | 64 | 73 | 137 | 5 | 13 | 18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | सिक्किम | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | तमिलनाडु | 77 | 116 | 193 | 7 | 9 | 16 |
| 27. | तेलंगाना | 34 | 117 | 151 | 17 | 50 | 67 |
| 28. | त्रिपुरा | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 63 | 111 | 174 | 15 | 35 | 50 |
| 30. | उत्तराखंड | 11 | 12 | 23 | 2 | 4 | 6 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 67 | 94 | 161 | 14 | 16 | 30 |
| ... | **कुल** | **1397** | **1977** | **3374** | **232** | **421** | **653** |

**4.3 वर्ष 2018–19 हेतू देश और लिंग–वार दत्तक ग्रहण (देशीय और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण) आंकडों का विवरण निम्नानुसार है–**

| क्रम सं. | देश | अंतरदेशीय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | कुल |
| 1. | ऑस्ट्रेलिया | 2 | 5 | 7 |
| 2. | बेल्जियम | 1 | 2 | 3 |
| 3. | कनाडा | 11 | 33 | 44 |
| 4. | डेनमार्क | 1 | 0 | 1 |
| 5. | फिनलैंड | 0 | 6 | 6 |
| 6. | फ्रांस | 9 | 9 | 18 |
| 7. | जर्मनी | 0 | 2 | 2 |
| 8. | हॉगकॉग | 0 | 3 | 3 |
| 9. | इटली | 53 | 62 | 115 |
| 10. | केन्या | 1 | 1 | 2 |
| 11. | माल्टा | 17 | 10 | 27 |
| 12. | मॉरीशस | 0 | 1 | 1 |
| 13. | न्यूजीलैंड | 0 | 8 | 8 |
| 14. | साउथ अफ्रीका | 0 | 1 | 1 |
| 15. | स्पेन | 29 | 56 | 85 |
| 16. | स्वीडन | 6 | 7 | 13 |
| 17. | स्विट्जरलैंड | 0 | 1 | 1 |
| 18. | तंजानिया | 1 | 1 | 2 |
| 19. | यू.के. | 4 | 7 | 11 |
| 20. | यू.ए.ई य | 0 | 2 | 2 |
| 21. | अमेरिका | 97 | 204 | 301 |
| ... | **कुल** | **232** | **421** | **653** |

अध्याय : 5

# अनुलग्नक

5.1 परिशिष्ट – कः राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) की राज्य–वार सूची का विवरण इस प्रकार है–

| क. सं. | राज्य /केंद्र शासित प्रदेश | संबंधित सारा | संपर्क विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>ओ/ओ महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग,<br>चौथी मंजिल, जम्पानी टॉवर्स, लॉज सेंटर के पास,<br>अमरावती रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश–522006 | संयुक्त निदेशक<br>मोबाइल : 0944081125, 9440814425<br>दूरभाष : 0863-2332587<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 08121034803, 9963332293<br><br>कार्यक्रम अधिकारी आईसीपीएस - 8977000229<br><br>ईमेल : adoptionandhra@gmail.com apwdcw@gmail.com |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | समाज कल्याण विभाग<br>अरूणाचल प्रदेश सरकार<br>पोस्ट बॉक्स नं. – 227,<br>नाहरलागुआन, अरूणाचल प्रदेश–791112 | कार्यक्रम सहायक कर्मचारी 8794592625<br><br>ईमेल : ar.womanchild@gmail.com |
| 3 | असम | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>ओ/ओ राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, असम सरकार,<br>प्रथम मंजिल, मकान नं. 46, सर्वे बस स्टाप, बेलटोला<br>गुवाहाटी– 28, असम | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09864483226<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल: 09085962276<br><br>दूरभाष : 0361- 2229275, 2265389<br>टेलीफैक्स : 0361-2229275<br><br>ईमेल : scpsassam@gmail.com, saraassam8@gmail.com |
| 3 | बिहार | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>दूसरी मंजिल, अपना घर, ललित भवन के पीछे,<br>पुनाईचक,बेली रोड,<br>पटना–800023, बिहार | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09955404688<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 7858901672<br><br>सहायक कार्यक्रम<br>मोबाइल : 09308784953<br><br>दूरभाष : 0612-2545033<br><br>ईमेल :<br>sara-bih@gov.in<br>brajesh1098@gmail.com, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | चण्डीगढ़ | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>केंद्र शासित बाल संरक्षण सोसाइटी,<br>अतिरिक्त टाउन हॉल बिल्डिंग,<br>तीसरी मंजिल, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 08146844121<br>दूरभाष : 0172-2548000<br><br>ईमेल :<br>utcpschandigarh@gmail.com |
| 5 | छत्तीसगढ़ | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)<br>महिला व बाल विकास निदेशालय<br>तीसरी मंजिल, ब्लाक–क,<br>इंदिरावती भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ– 492001 | श्री रमेश साहू<br>सहायक निदेशक<br>मोबाइल : 9165358907<br><br>डॉ. रामशरण चौकसे<br>कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 9827977752<br><br>श्री अशोक सिन्हा<br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 9827484691<br><br>टेलीफैक्स : 0771-2220006<br><br>ईमेल :<br>cgsara2015@gmail.com<br>ramsharanchouksey@gmail.com |
| 6 | दादरा नगर हवेली | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)<br>तृतीय तल, 312 लेखा भवन, दादरा नगर हवेली प्रशासन,<br>सामाजिक कल्याण विभाग,<br>सिल्वासा–396230, दादरा नगर हवेली | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 9427154262<br><br>ईमेल :<br>dnhsara@gmail.com |
| 7 | दिल्ली | महिला एवं बाल विकास विभाग<br>भारत सरकार दिल्ली<br>प्रथम तल, सेवा कुटीर परिसर, किंग्स वे कैम्प–110009 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 9718417666<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09911813487<br><br>दूरभाष : 011-23073416, 23073459 (ICPS)<br><br>ईमेल :<br>saraarcdelhi@gmail.com |
| 8 | दमन और दीव | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)<br>समाज कल्याण विभाग<br>डी–1/4, प्रथम तल, सरकारी आवास,<br>ढोलर मोती,<br>दमन –396220<br>दमन और दीव | कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 9824512354, 9428760000<br><br>फैक्स : 0260-2230698<br><br>ईमेल :<br>icpsswd@gmail.com |
| 9 | गोवा | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>ओ/ओ महिला एवं बाल विकास निदेशालय, द्वितीय तल,<br>पुरानी शिक्षा बिल्डिंग, 18 जून रोड,पणजी,<br>गोवा –403001 | परिवीक्षा अधिकारी (मुख्यालय)<br>दूरभाष : 0832-9358365,<br>फैक्स : 0832-2426112<br><br>ईमेल :<br>dir-wcd.goa@nic.in |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | गुजरात | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>गुजरात राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी<br>गुजरात सरकार,<br>ब्लाक – 19 तृतीय तल,<br>डॉ जीवराज मेहता भवन,<br>सेक्टर – 10/ए, गांधीनगर,<br>गुजरात – 382010 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>Mobile : 09737615383<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09428606094<br><br>दूरभाष : 079-23242521è 22è 23<br>फैक्स : 079-23242522<br>ईमेल : sara.gujarat@gmail.com, |
| 11 | हरियाणा | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>हरियाणा सरकार<br>बेयस नं 15–20, सेक्टर 4 पंचकुला हरियाणा | कार्यक्रम प्रबंधक<br>दूरभाष : 0172-2560349<br>7986351627<br>ईमेल : sara.icps@gmail.com |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>ओ/ओ महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, केडर भवन,<br>हिमलैंड होटल के निकट, शिमला,<br>हिमाचल प्रदेश – 171001 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09418245773<br><br>दूरभाष : 0177-2629731<br>फैक्स : 0177- 2629731<br><br>ईमेल : hscps.icps@gmail.com |
| 13 | झारखंड | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>समाज कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास<br>ओ/ओ झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसायटी,<br>झारखंड सरकार,<br>इंजीनियर होस्टल, द्वितीय तल, सैक्टर– 3,<br>ध्रूवा, रांची – 4, झारखंड–834004 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09102205141<br><br>दूरभाष : 0651-6573272<br><br>ईमेल : sarajharkhand@gmail.com |
| 14 | कर्नाटक | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>निदेशालय बिल्डिंग गेट न. 2<br>प्रथम तल, एम.एस. बिल्डिंग,<br>डॉ अंबेडकर वीधी रोड,<br>बैंगलुरू, कर्नाटक– 560001 | उप निदेशक और<br>कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09886474749<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09008961187, 08022879382<br><br>दूरभाष : 080- 22879381, 22879382, 22353776<br><br>फैक्स 080-22353777<br><br>ईमेल : dirwcd@kar.nic.in, jdpdm.dwcd@gmail.com,<br>icpssarakar@gmail.com |
| 15 | केरल | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>केरल सरकार,<br>आईपीसीएस– सारा पूजापुरा, तिरूवनंतपुरम – केरल | संयुक्त निदेशक<br>मोबाइल : 09447533690<br><br>कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09747499612<br><br>दूरभाष : 0471-2344230<br>ईमेल : keralasara@gmail.com,<br>icpskerala@gmail.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | मध्य प्रदेश | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा)<br>महिला एवं बाल विकास निदेशालय,<br>द्वितीय स्टॉप, तुलसी नगर,<br>महिला भवन, जवाहर बाल भवन परिसर,<br>भोपाल–462001, मध्य प्रदेश | अपर निदेशक<br>मोबाइल : 7552550940<br><br>सहायक निदेशक<br>मोबाइल : 9131942143<br><br>ईमेल : icpsbhopal@gmail.com, icpsscheme.we@mp.gov.in |
| 17 | महाराष्ट्र | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी,<br>द्वितीय तल, महिला एवं बाल विकास आयोग, महाराष्ट्र सरकार,<br>28, क्वींस गार्डन, पुराने सर्किट हाउस के निकट,<br>पुणे– 411001<br>महाराष्ट्र | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 9960897907<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 9767483881<br><br>दूरभाष : 020-26360063<br><br>ईमेल : sara.mscps@gmail.com |
| 18 | मणिपुर | राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>समाज कल्याण विभाग,<br>मणिपुर सरकार<br>निदेशालय परिसर,<br>एटी लाइन (द्वितीय एमआर गेट),<br>इंफाल, मणिपुर–795001 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 08415902838<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 08415943378<br><br>ईमेल : manipursara@gmail.com |
| 19 | मेघालय | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>ओ/ओ राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी मेघालय सरकार,<br>लोवर लंचूमीचरी,<br>हॉपकिंग्स रोड<br>शिलांग–793001, मेघालय | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09612948543<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 8014138803, 7005033846<br>दूरभाष : 0364-2501268<br>फैक्स : 0364-2225978<br>ईमेल : sara.shillong@gmail.com |
| 20 | मिजोरम | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण<br>वेरडेंट रिज, हाउस नंबर 1–61/ई–1/बी, डंगलेना बिल्डिंग, ताइटसेना सेक्शन, लपुतिलंग, ऑजवाल,<br>मिजोरम– 796012 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09436190895<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09862329347<br><br>दूरभाष : 0389-2306957<br>ईमेल : saramzr@ymail.com, vanlaldini@yahoo.com |
| 21 | नागालैंड | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी<br>पी.आर हिल्स,<br>एस.पी कार्यालय के निकट, एयरस भवन, कोहिमा,<br>नागालैंड–797001 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09436282856<br><br>कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09089979334<br><br>टेलीफैक्स : 0370-2242979<br>ईमेल : scpsnagaland@gmail.com, renchumi@yahoo.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | ओडिशा | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>महिला एवं बाल विकास, मिशन शक्ति भवन,गंडमुंडा,<br>खंडागिरी, भुवनेश्वर, ओडिसा –751003, | कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 09438350598<br><br>दूरभाष : 0674-2353122<br><br>ईमेल : pm.sara.od@nic.in,<br>Saraodisha09@gmail.com |
| 23 | पुदुचेरी | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>सामाज कल्याण निदेशालय,<br>पुदुचेरी सरकार,<br>नं. 1, सारादंबल नगर मेन रोड, इलईपिलईचवेडी,<br>पुदुचेरी –605005 | उप निदेशक सह कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09843436993<br><br>सहायक कार्यक्रम<br>केंन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी चाइल्ड<br>प्रोटेक्शन सोसाइटी<br><br>मोबाइल : 09043707394<br>दूरभाष : 0413-2200088, 2205871è12<br>फैक्स : 0413-2206762, 2200088<br><br>ईमेल : : directorofsocialwelfare@<br>yahoo.com, dswicpspdy@gmail.com |
| 24 | पंजाब | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग,<br>पंजाब सरकार,<br>एस.सी.ओ. संख्या 102–103,<br>सेक्टर 34 ए,<br>चंडीगढ़, पंजाब–160022, | कार्यक्रम प्रबंधक मोबाइल : 09592104500<br><br>दूरभाष : 0172-2608746, 2602726<br><br>फैक्स : 0172-2664533<br>ईमेल : saraicpspunjab@gmail.com<br>icps.punjab@gmail.com, |
| 25 | राजस्थान | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>बाल अधिकार विभाग,20 / 198, कावेरी पथ, सेक्टर –2,<br>मानसरोवर जयपुर, राजस्थान | उप निदेशक, सारा<br>दूरभाष : 0141-2399335 è 36<br><br>ईमेल : ccosjerajasthan@gmail.com, |
| 26 | सिक्किम | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण विभाग,<br>सिक्किम सरकार, पुरानी वेस्ट प्वाइंट स्कूल, निकट प्राइवेट<br>टैक्सी स्टैंड के निकट<br>गंगटोक, सिक्किम– 737101 | कार्यक्रम अधिकारी<br>मोबाइल : 08670019974<br><br>सहायक कार्यक्रम<br>मोबाइल : 07908598616<br><br>दूरभाष : 03592-202828<br>फैक्स : 03592-225682<br><br>ईमेल : icpssikkim@gmail.com,<br>sarasikkim@gmail.com<br>rahuldumi@gmail.com |
| 27 | तमिलनाडु | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>समाज रक्षा निदेशालय,<br>तमिलनाडु सरकार,<br>नंबर 300, पुरसावालकम हाई रोड केली<br>चेन्नई –600010, तमिलनाडु | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09444784421<br><br>कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल :<br>8148225330 09952686904<br><br>दूरभाष : 044-26423050<br>ईमेल : saratndsw@gmail.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | तेलंगाना | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>महिला विकास और बाल कल्याण विभाग निदेशालय<br>8–3–222, वेंगल राव नगर, राज्य होम परिसर, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, तेलंगाना | संयुक्त निदेशक मोबाइल : 09440814456<br><br>कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 7981521448, 8008003386<br><br>कार्यक्रम प्रबंधक<br>दूरभाष : 040-23733848, 23733665<br><br>ईमेल : tgwdcw@gmail.com, tgadoption@gmail.com |
| 29 | त्रिपुरा | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>समाज और शिक्षा निदेशालय,<br>त्रिपुरा सरकार,<br>उजन अबहोग नगर,<br>अगरतला,<br>पश्चिमी त्रिपुरा – 799005 | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 09402169378<br><br>कार्यक्रम सहायक<br>मोबाइल : 9436483519<br><br>दूरभाष : 0381-2326033<br>फैक्स : 0381-2323980<br><br>ईमेल : cw.dswe@gmail.com, dswe_agt@yahoo.com,<br>dswepcell@gmail.com,<br>chiranjit.utitsl@gmail.com |
| 30 | उत्तराखंड | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>महिला कल्याण निदेशालय<br>29/20, नेमी रोड, ढलान वाला,<br>देहरादून–248001 उत्तराखंड | कार्यक्रम अधिकारी मोबाइल : 09410722092, 9084078387<br><br>दूरभाष : 0135-2107009<br>फैक्स : 0135-2656432<br><br>ईमेल : ukchiefpo@gmail.com |
| 31 | उत्तर प्रदेश | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>ओ/ओ महिला कल्याण निदेशाक,<br>महिला कल्याण एंव बाल विकास विभाग,<br>उत्तर प्रदेश सरकार,<br>आठवां तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ –226001,उत्तर प्रदेश | कार्यक्रम प्रबंधक<br>मोबाइल : 08707813782<br><br>दूरभाष : 0522-2286402<br>फैक्स : 0522-2286140, 2286451<br><br>ईमेल : upsara2015@gmail.com,<br>directormahilakalyan@gmail.com |
| 32 | पश्चिम बंगाल | राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण,<br>बाल अधिकार और तस्करी निदेशालय, शाशाली भवन, साल्ट लेक सिटी, सेक्टर – 1, डीएफ खंड, कोलकाता–700064 पश्चिम बंगाल | मोबाइल : 09674174627<br><br>दूरभाष : 033-23560351<br>फैक्स : 033-2337578<br>ईमेल : adoption.sarawb@gmail.com |

5.2 परिशिष्ट –ख : जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की राज्य –वार–सूची नीचे दी गई है –

| क. सं. | राज्य | केयरिंग्स पर पंजीकृत डीसीपीयू की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 17 |
| 3. | असम | 27 |
| 4. | बिहार | 38 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 27 |
| 7. | दादरा नगर हवेली | ... |
| 8. | दिल्ली | 11 |
| 9. | गोवा | 0 |
| 10. | गुजरात | 33 |
| 11. | हरियाणा | 21 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 12 |
| 13. | झारखंड | 24 |
| 14. | कर्नाटक | 30 |
| 15. | केरल | 14 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 49 |
| 17. | महाराष्ट्र | 36 |
| 18. | मणिपुर | 9 |
| 19. | मेघालय | 11 |
| 20. | मिजोरम | 8 |
| 21. | नागालैंड | 11 |
| 22. | ओडिशा | 30 |
| 23. | पुदुचेरी | 4 |
| 24. | पंजाब | 22 |
| 25. | राजस्थान | 33 |
| 26. | सिक्किम | 3 |
| 27. | तमिलनाडु | 32 |
| 28. | तेलंगाना | 10 |
| 29. | त्रिपुरा | 8 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 72 |
| 31. | उत्तरांचल | 13 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 23 |
| ... | **कुल** | **642** |

नोट : हमारे वेबसाइट पर डीसीपीयू के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।

**5.3 परिशिष्ट –ग : विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण** (एसएए) की राज्य –वार–**संख्या नीचे दिए गए है–**

| क्रम.सं. | राज्य | केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 14 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1 |
| 3. | असम | 21 |
| 4. | बिहार | 26 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 13 |
| 7. | दादरा नगर हवेली | 1 |
| 8. | दिल्ली | 11 |
| 9. | गोवा | 2 |
| 10. | गुजरात | 16 |
| 11. | हरियाणा | 8 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 13. | झारखंड | 12 |
| 14. | कर्नाटक | 28 |
| 15. | केरल | 17 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 31 |
| 17. | महाराष्ट्र | 63 |
| 18. | मणिपुर | 9 |
| 19. | मेघालय | 6 |
| 20. | मिजोरम | 7 |
| 21. | नागालैंड | 4 |
| 22. | ओडिशा | 28 |
| 23. | पुदुचेरी | 4 |
| 24. | पंजाब | 9 |
| 25. | राजस्थान | 35 |
| 26. | सिक्किम | 4 |
| 27. | तमिलनाडु | 20 |
| 28. | तेलंगाना | 11 |
| 29. | त्रिपुरा | 9 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 18 |
| 31. | उत्तरांचल | 8 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 22 |
| --- | कुल | 460 |

**नोट : हमारे वेबसाइट पर एसएए के संपर्क विवरण उपलब्ध हैं।**

## 5.4 परिशिष्ट–घ : प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए) की राज्य –वार–संख्या विवरण नीचे दिए गए है–

### 5.4.1 एएफएए का सारांश

| कम सं. | देश का नाम | एएफएए की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बेल्जियम | 3 |
| 2 | कनाडा | 5 |
| 3 | डेनमार्क | 1 |
| 4 | फिनलैंड | 1 |
| 5 | फ्रांस | 5 |
| 6 | हॉगकॉग | 1 |
| 7 | आयरलैंड | 1 |
| 8 | इटली | 14 |
| 9 | लक्समबर्ग | 1 |
| 10 | माल्टा | 2 |
| 11 | नीदरलैंड | 1 |
| 12 | न्यूजलैंड | 1 |
| 13 | दक्षिण अफ्रीका | 1 |
| 14 | स्पेन | 4 |
| 14 | स्वीडन | 2 |
| 16 | स्विट्जरलैंड | 1 |
| 17 | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | 1 |
| 18 | संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.इ.ई.) | 1 |
| 19 | युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) | 15 |
| ... | **कुल** | **61** |

### 5.4.2 एएफएए का विवरण

| कम सं. | देश का नाम | अभिकरण का नाम व पता | ई–मेल |
|---|---|---|---|
| | बेल्जियम | ईफेंटस डी लेसपोर<br>चिल्डरन ऑफ होप<br>रूए डी मॉन्टिग्नी–13, लेरेटेज (पहला तल) 6000 चारलेरोए बेल्जियम | N.foulon@skynet.be<br>Nathaliefoulon07@gmail.com<br>Enfantsespoir@gmail.com |
| | | रेय ऑफ होप (मर्जर विद जोय सोर्वस होप) कनापतनसरात 25, 9160 लोकरेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम | Ray.of.hope.vzw@pandora.be |
| | | फलानडर इंटरकंटरी ऐंडोप्शन केयर (एफआईएसी)<br>स्टेशनसरात 80ए, बी–2440 गिल ब्रुसेल्स, बेल्जियम | info@fiac-vzw.be |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कनाडा | कॉर्नरस्टोन ऍडोप्शन एजेंसी, 360 बेली स्ट्रीट, सुइट 201 एजेक्स, ओट्रारियो, कनाडा<br><br>एल1एस 1पी1 कनाडो | Info@cornerstoneadoption.ca |
| | | चिल्ड्रन ब्रिज इंटरनेशनल ऍडोप्शन कंस्लटेंट 1400 सीलडी एवेंन्यू, सुइट 221, ओटावा, ओनटारिया, कनाडा, के2जी 312 | Info@childrensbridge.com |
| | | सनराईज फैमिली सर्विजज सोसाइटी<br><br>#102-171, वेस्ट एसपलेनैड, नार्थ वैंकूवर, बीसी वी7एम 3जे9, कनाडा | Info@sunriseadoption.com<br><br>Mary@sunriseadoption.com |
| | | च्वॉइस ऍडोप्शन और प्रेंगनेन्सी काउसलिंग, ब्रिटिश कोलंबिया 850 ब्लैंशर्ड सेंट, विक्टोरिया, बीसी वी8डब्ल्यू 2एच2 | choices@choicesadoption.ca |
| | | फैमिली सर्विजज पीएफ ग्रेटर वैंकूवर (एफएसजीवीए, ईस्ट ब्रॉडवे, वैंकूवर, कनाडा | |
| | डेनमार्क | दानिश इंटरनेशनल ऍडोप्शन<br><br>होवेजडेंन 24, 3460<br><br>बिरकेरोड, डेनमार्क | mail@danadopt.dk<br><br>ac@a-c.dk |
| | फिनलैंड | इंटरपीडिया आर.वाई एसेमामईहेंनकाटू 4 बी/ स्टेशनकरलेसगाटन 4बी, फिन–0050 हेलसिगफोर फिनलैंड<br><br>फ्रांस | ilona.korhonen@interpedia.fi<br><br>eija.kiiskinen@interpedia.fi<br><br>toimisto@interpedia.fi |
| | फ्रांस | कंन्फेडरेशन फ्रासिस पोर एल ऍडोप्शन कोफा– कमिटी डी मार्शीली<br><br>ओईयूवरे डी ई ऍडोप्शन 12, आरयूई बीईएल एयेर–13006 मार्शीली फ्रांस | odamarseille@wanadoo.fr |
| | | ले रेयॅन डी सोलेल डी ई इंफेट ईट्रेन्जर 8बीआईएस, आरयूई, मारटेल 75010 पेरिस<br><br>फ्रांस | soleil.rayon@wanadoo.fr<br><br>rdsee.adoptioninde@gmail.com |
| | | लेस इंफेटस डीई एल एसपेरेंस, 22, एएलएलईई पॉल इलूआर्ड–77420 चैम्पस एसयूआर मैरनी फ्रांस | suzannem.ede@gmail.com<br><br>delacour@chello.fr<br><br>moushette@hotmail.com |
| | | इंफेंटस डू मॉडे<br><br>87, रू डे ले बेसस<br><br>59000 एलआईएलएलई फ्रांस | edmfcontact@gmail.com<br><br>edmfcontact@yahoo.fr |
| | | एजेंसी फ्रांकेंसी डी एल ऍडोप्शन<br><br>19, बोयूलेवर्ड हेनरी iv 75004, पेरिस, फ्रांस हांगकांग | marine.marcon@agenceadoption.fr |
| | हांगकांग | इंटरनेशनल सोशल सर्विस<br><br>छठा तल, सॉदरन सेंटर, 130<br><br>हैनेससी आरडी वनचाही,<br><br>हांगकांग | isshakbr@netvigator.com |
| | आयरलैंड | हैल्पिंग हैंड ऍडोप्शन मेडिटेंशन एजेंसी फॉग लॉग, फॉग लॉग हिल्स कोंक, डब्लीन आयरलैंड | helpinghands.ama@gmail.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | इटली | सेंट्रो ईटेलियनओयूटी ऑल इनफांजिया (सीआईएआई) वाया बोरगिहीरा 6 20142 मिलानो, इटली | adozioni@ciai.it |
| | | अंतराष्ट्रीय ऍडोप्शन एसोसिएशन फॉर द फैमिली एंड चाल्इलड वेल्फेयर वाया केटरिना 208 / सी 33030 वीला प्रिमावीरा कमपोफोरमिडो (यूडी) इटली | info@internationaladoption.it |
| | | मिशनेरि डेला कारीटा (मिशनरीज ऑफ चेरीटी) सलीटा डी एस ग्रेगोरीयो / एल सेलीयो एन1 00184 रोमी, इटली | mcadozioni.info@gmail.com |
| | | आई बमबीनी डेल<br>अरकोबालिनो एडोजीओनी<br>इंटरनाजीओनाली 32013 लोगारोनी (बीएल) इंटालीया वाया रोमा 36 / ए कोडीसी फिसकेले<br>93017430252, इटली | bamperco@libertoit<br>associazione@bambarco.it |
| | | एसोसिएजीओन एमिकी टरेनटीनी ऑनलस वीएले डेगली ओएलमी, 26 38123 ट्रेनटो, इटली | amicitrentinitezze@valsugana.com<br>trento@amicitrentini.it |
| | | एसोसिएजीओन इटालिआना प्रो एजोजीओनी (एआईपीए) सेडे सोसीएला वाया फ्रेसेको डीओडो 10–00136, रोमा, इटली | info@aipaweb.it<br>aipamail@tin.it |
| | | ला प्रीमोजेनिटा<br>इंटरनेशनल ऍडोप्शन<br>वाया फिओरीनी 6 / ए 29100 पीयासीएनजा इटली | amicidb@tin.it<br>anna.piacenza@laprimogenita.it |
| | | मेहाला एसोसिएशन चाइल्ड एंड फैमिली–ऑनलस<br>एसोसिएजीयोन मेहाला ऑनलस, वाया केम्पी, 64'23807,<br>मेरेटे(एलसी) | adozioni@mehala.org<br>info@mehala.org |
| | | फैमिगलीया इनसीएमी ऑनलस लाजो एमबा एराडेम 1, रोम 00184, इटली | cooperativa@famigliainsieme.org |
| | | एमिकी मिशीओनी इंडेनेन ओनलेस वाया आल्डो मोरो 7–20090 बूकीनेस्को (एमआई), मिलान इटली | adoz_india@amiweb.org<br>ami@amiweb.org |
| | | एसोसिएशन मरियाना ऑनलेस<br>वाया ए डीआज, 92 केसोरिया,<br>एनए, इटली | associazionemarianna@virgilio.it |
| | | सीआईएफए ऑनलस<br>सेंट्रो इंटरनाजाईनलेन फेमिजी प्रो एडोजीओन इंटरनेशनल सेंटर फोर चिल्डरन एंड फैमिली वाया यूगो फोस्कोलो 3,10126 टूरीन, टूरीनो, इटली | cifa.torino@cifaong.it |
| | | एसोसिएशन लो स्कोइयाटोलो ओनलस<br>इंटे ऑटोरीजेटो पेर ले अदीजोनी इंटरनेशनली सेदे सेंट्राले<br>कोरसो डेल पोपोली<br>69 रोम 00154, इटली | infoterni@loscoiattoloonlus.org |
| | | फैमिलीया इनसाइन ओनलस<br>वाया प्रोसप्रेरो अल्पिनो<br>69 रोम 00154, इटली | info@famigliainsieme.org |
| | लक्समबर्ग | एमीकेल इंटरनेशनल डीऐड<br>एल इंफेंन (आईएई)<br>एल–8140 ब्रीडेल, 71, आरयूई डे लक्ज़म्बर्ग गेंड डूची, लक्ज़म्बर्ग | aiaem@pt.lu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | माल्टा | अजीनजीजा तामा<br>1, तरीक II- बाजादा<br>कोर्मि, माल्टा | info@agenzijatama.com |
| | | अजीनजीजा अपोग<br>36, तरीक सेन ल्यूक जी मान्या<br>पीटीए 1318, माल्टा | appogg@gov.mt |
| | नीदरलैंड | वरलडकिनडेरेन<br>(द नीदरलैंड इंटर–कंटरी चाइल्ड वेफेयर ऑरगनाईजेशन)<br>रिओवसतरेत 191, 2585 एचटी, डेन हैग, द नीदरलैंड | info@wereldkinderen.nl<br>dobken@wereldkinderen.nl |
| | न्यूजलैंड | इंटरकंनट्री ऐंडोप्शन न्यूजीलैंड (आईसीएएनजी) पीओ बॉक्स 62–660 ग्रीनलैंन ऑकलैंड 1546<br>न्यूजीलैंड | office@icanz.gen.nz |
| | | एडोप्शजन्स फोरम (एडॉप्शन फोरम)<br>पोस्ट बॉक्स 2364 सोली, 0201, ओस्लो बेसकेसाड्रैसे इनकोजीतोगी .17 नॉर्वे | info@adopsjonsforum.no<br>amv@adopsjonsforum.no |
| | दक्षिण अफ्रीका | कैथोलिक वूमन लीग ऐंडाप्शन सोसाइटी,<br>मार्गरेट हाउस, 33 रॉबर्ट्स एवेन्यू, केंसिंग्टन 2094,<br>पी.ओ. बॉक्स 66121, ब्रॉडवे 2020, दक्षिण अफ्रीका | adoptions@mweb.co.za |
| | स्पेन | निनस सीन फ्रटंनरस<br>चिल्ड्रेंन विदआउट फ्रटंनरस<br>एविडा. यूरोपा न. 34, ब्लॉक्यू–बी, ईएससी.डेरेचा 10 इजिक्वेरिडा–28023 अरवाका– मैड्रिड–स्पेन | nsf.cwf@nsf-cwf.org |
| | | नमस्ते (एसोशियसन ) अरागानोइसा) पारा ला प्रोमोसीन दी ला इंफासीया) सी / ओ 79, 81, 2$^{0}$ डी 50001 जारागोजा (स्पेन) | asocnamaste@terra.es<br>namaste.es@gmail.com |
| | | यमुना एसोशियसन चिल्ड्रेंन आइड<br>सी / पेरिस, 97, लोकल–2–08029– बार्सिलोना, स्पेन | info@yamuna.org |
| | | ईसीआई, बाल बालिका इंटरनेशनल एडोपसन<br>ईनरिक बोरस एन$^{0}$ 30 बजोस, 08912, बदालोना बार्सिलोना, स्पेन | bertranr@icab.es<br>balbalika@lycos.es<br>mmonla@ecaibalbalika.com<br>informacio@ecaibalbalika.com<br>rbertranp@gmail.com |
| | स्वीडन | एडोपसनसीनट्रोरम बॉक्स–11139 161 11 स्टोकहोलम स्वीडन | info@adoptionscentrum.se<br>monica.lind@adoptionscentrum.se |
| | | चिल्ड्रेंन एब्ब अल एडोपसन एनरगीगटने, 11, एस–43437 कून्गसबक्का स्वीडन | adoption@bfa.se<br>katarina@bfa.se |
| | स्विट्जरलैंड | फाउडेंशन इनफेंन्टस –ईसपोर<br>मैडामे हेल्गा नेई– 1053, ब्रेटीगनी स्विट्जरलैंड | helga.ney@worldcom.ch<br>priti_aeschbacher@yahoo.com |
| | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | इंटरकन्ट्री एडोपसन सेंटर 22 यूनियन स्ट्रीट, बारनेट, हर्ट्स, इन एन5 4एच यूनाईर्टड किंगडम | gillhaworth@icacentre.org.uk<br>info@icacentre.org.uk |
| | संयुक्त अरब अमीरात<br>(यू.ए.इ.ई.) | ओमना मीनन<br>पी.ओ. बॉक्स न. 24202<br>दूबई (यूअई) | omanamenondubai@gmail.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | संयुक्त राज्य अमेरिक (यूएसए) | नाइटलाइट क्रिश्चियन एडॉप्शन (मर्ज विद लव बास्केट एडॉप्शन)<br>4430 ई मिरालोमा एवेन्यू,<br>सुइट बी, अनाहेम हिल्स सीए 92807, यूएसए | daniel@nightlight.org<br>stephanie.miller@nightlight.org |
| | | चिल्डेंन हाउस इंटरनेशनल पी.ओ. बॉक्स 1829, (5711, विस्टा, सुइट 101 ए) फर्नडेल, डब्ल्यू ए 98248, यूएसए | chi4adopt@aol.com |
| | | चिल्डेंन होम सोसाइटी व फेमिली सरबीस, 1605 यूस्टिस स्ट्रीट संत पॉल, एमएन 55108–1219, मिनेसोता 55108 , यूएसए | india@chsfs.org<br>molly.rochon@chlss.org |
| | | होप एडोपसन और फेमिली सरबीस इंटरनेशनल आईएनसी 5850 ओमाहा एवेन्यू नोरथ ओके पार्ट हाईस्ट मिनेसोता 55082 , यूएसए | hope@hopeadoptionservices.org<br>nspader@hopeadoptionservices.org |
| | | बाल जगत चिल्डेंन वर्ल्ड इंक 5199 ईस्ट पेसफिक कोसट हाईवे सुइट 204, लोंग बींच कैलिफोर्निया 90804यूएसए | baljagat@verizon.net<br>hemlata@baljagat.org |
| | | चिल्डरन ऑफ द वर्ल्ड आईएनसी, 19940 ईस्ट<br>एसपेसिफिक कोईस्ट<br>हाईवे, सुइट # 204 लौंग बीच केलीर्फोनिया 90804<br>यूएसए | reggie@childrenoftheworld.com<br>pat@childrenoftheworld.com<br>patalsuplee@gmail.com<br>Teresa@childrenoftheworld.com |
| | | द बार्कर फाउंडेशन<br>7979 ओल्ड जॉर्जटाउन रोड, प्रथम तल, बेथेस्डा, एमडी 20814, यूएसए | mregier@barkerfoundation.org<br>info@barkerfoundation.org<br>BBetz@barkerfoundation.org |
| | | डीलन इंटरनेशलन आईएनसी<br>7335 एस लिवीस एवेन्यू, सुइट 302, तुलसा, ओके 74136, यूएसए | info@dillonadopt.com<br>tami@dillonadopt.com<br>jynger@dillonadopt.com<br>maryanne@dillonadopt.com |
| | | इंटरनेशनल क्रीचीयन ऍडोप्शन<br>41745 राईडर वेय, # 2,<br>टेमेकुला सीए 92590, केलीर्फोनीया, यूएसए | CascadeICS@aol.com<br>info@4achild.org |
| | | मैसर्स अमेरिका वर्ल्ड ऍडोप्शन एसोसिएशन आईएपसी 6723 वाहिटियर एवेन्यू सुइट 202 मेलेअन, 22101, यूएसए | brain.luwis@awaa.org<br>lisa.adamsreese@awaa.org |
| | | एक्रोस द वर्ल्ड ऍडोप्शन<br>399, टेलर बीएलवीडी, सुइट 102 पीलीजेंट हिल, केलीर्फोनिया 94523, यूएसए | adopt@atwakids.org |
| | | इंटरनेशनल ऍडोप्शन नेट 7500 ई एरापाहोई रोड एसटीई #250<br>केनटेनियल, को 80112 यूएसए | info@adoptioninternational.net<br>Joan@internationaladoptionnet.org |
| | | लाइफलाइन चिल्डरन सिवर्सिस 2104 रोकी रिज रोड बीरमिनघम, एएल 35216 यूएसए | lifeline@lifelineadoption.org<br>jessica.oetting@lifelinechild.org |
| | | फैथ इंटरनेशनल ऍडोप्शन<br>1105 टाकोमा एवेन्यू, साउथ टाकोमा, डब्ल्यू ए 98402 | faith@faithadopt.org |
| | | ऍडोपट इंटरनेशनल, यूएसए | adopt@adoptinter.org |

**5.5 परिशिष्ट–ड केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रकिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण एकक, कोर्ट द्वारा विभिन्न हितधारकों के लिए जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र और परामर्श निम्नानुसार है–**

सत्यमेव जयते

**Central Adoption Resource Authority**
**केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

CARA

संख्या–57–3(2018)कारा — दिनांकः 03.04.2018

**परिपत्र संख्या 1/2018**

**विषयः गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्वैधीकरण हेतु शुल्क**

1. कारा को गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) के पुनर्वैधीकरण हेतु लिये जाने शुल्क के संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों से प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं।

2. भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) की एचएसआर के पुनर्वैधीकरण चुनिदां विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरणों (एसएए) के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। यदि एसएए निर्धारित समय के भीतर गृह अध्ययन करने में असमर्थ है तो वे एचएसआर तैयार करने के लिए राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा जिला बाल संरक्षण एकक द्वारा रखने जा रहे पैनल एक सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ले सकते हैं।

3. गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्वैधीकरण को तैयार करने के लिए प्रभार्य शुल्कों पर स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैः.

   i) यदि गृह अध्ययन रिपोर्ट किसी एजेंसी (अर्थात पूर्व में एचएसआर संचालित करने वाली एजेंसी के अलावा किसी एजेंसी द्वारा अथवा तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् जब एचएसआर की अवधि समाप्त हो जाती है, उसी एजेंसी द्वारा) द्वारा नए सिरे से तैयार की जाती है तो भावी दत्तक माता–पिता से 6,000/– रुपये (यात्रा व्यय सहित) का पुनर्वैधीकरण शुल्क लिया जा सकता है।

   (ii) यदि मौजूदा एचएसआर का उसी एजेंसी अथवा पूर्व की एजेंसी के बंद होने/प्राधिकरण के निदेश के कारण किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा पुनर्वैधीकरण किया जाना है तो भावी दत्तक माता–पिता से 2,000/– रुपये (यात्रा व्यय सहित) का शुल्क लिया जा सकता है।

4. सामाजिक कार्यकर्ता को एचएसआर हेतु प्रभावित शुल्क में से सरकारी मानदंडों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता–पिता से किसी अन्य प्रभार के लिए नहीं कहेंगे।

ह/–

(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिः

(1) समस्त विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए)
(2) समस्त राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए)

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
सत्यमेव जयते
CARA

**संख्या–कारा/आईसीए012/3/2017** **दिनांकः 09.05.2018**

**परिपत्र**

**विषयः अंतर–देशीय रिश्तेदार दत्तक–ग्रहण संबंधी मामलों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन समाविश्ट करने के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) के प्रारूप में संशोधन एवं एकल भावी दत्तक माता–पिता के मामले में रिश्तेदार से वचनपत्र लेना**

सेवा में,

समस्त प्राधिकृत विदेशी दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एएफएए)

प्रिय एएफएए,

कृपया भारत से बच्चा गोद लेने के लिए केयरिंग्स पर पंजीकरण करने के इच्छुक संभावित दत्तक माता–पिता (पीएपी) के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन समाविष्ट करने के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) के प्रारूप में संशोधन के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 27.11.2017 एवं 20.12.2017 के समसंख्यक परिपत्रों का संदर्भ लें।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिश्तेदार से संबंधित दत्तक–ग्रहण के मामले सहित अंतर–देशीय पीएपी के सभी मामलों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक होगा ताकि देश के बाहर गोद लिये जा रहे बच्चों की भलाई सुनिश्चित हो। अतः अंतर–देशीय रिश्तेदार दत्तक–ग्रहण के सभी मामलों में जहां गृह अध्ययन पहले ही संपन्न हो चुका है, पीएपी के मनोवैज्ञानिक आंकलन पर अलग रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। नये एवं चालू मामलों में उक्त रिपोर्ट गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) के अनुलग्नक के तौर पर केयिरिंग्स में प्रस्तुत/अपलोड की जाए।

3. इसके अतिरिक्त, एकल पीएपी के मामले में रिश्तेदार से वचनबद्धता के संबंध में दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची vi(2(15)), का हवाला दिया जाता है जो पीएपी के प्रारंभिक पंजीकरण के समय पर केयरिंग्स में अपलोड करना आवश्यक है। कारा को प्रारंभिक पंजीकरण चरण में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं जिसमें भारत से बच्चा गोद लेने की पेशकश करने वाले एकल पीएपी के मामले में निकट पारिवारिक मित्र से वचनबद्धता की अनुमति देकर इस संबंध में छूट देने का अनुरोध किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि देश के बाहर दत्तक ग्रहण में स्थापन किए जा रहे बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए एकल पंजीकृत पीएपी के रिश्तेदार से वचन पत्र लेना अनिवार्य है।

4. यह परिपत्र कारा की संचालन समिति की दिनांक 23.03.2018 की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर जारी किया जाता है।

ह/–
(सी. सरस्वती)
**(उप निदेशक, कारा)**

**प्रतिः**

1- समस्त केन्द्रीय प्राधिकरण (सीए)–सूचनार्थ
2- भारतीय राजनयिक मिशन (आईडीएम) एवं सरकार के विभाग जहां भी लागू हो – सूचनार्थ
3- बाल कल्याण अनुभाग–II, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली – सूचनार्थ

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
CARA

संख्या कारा/2018/एसी/1 दिनांकः 04.06.2018

## कार्यालय ज्ञापन_

**विषयः बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग आवास उपलब्ध कराना**

संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ कारा द्वारा किए गये अनेक संयुक्त निरीक्षण दौरों एवं विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरणों व बाल देखभाल संस्थाओं के कारा की सलाहकार समिति के सदस्यों के दौरों के दौरान, यह पाया गया कि किशोरवय बालकों एवं बालिकाओं को एक ही आवास में एक साथ रखा जा रहा है जो कि चिंता का विषय है।

2. स्वास्थ्यपरक बचपन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एवं दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 24(1) (च), 26(4)(ज) एवं अनुसूची ग्प्सस जो बाल देखभाल को न्यूनतम मानक को बनाए रखना नियम करती अनुरक्षण की गारंटी देती है, के अनुसार किशोरवय लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग आवास के साथ–साथ पर्याप्त स्थान का प्रावधान किया जए ताकि उनकी पर्याप्त सुरक्षा एवं किसी भी अप्रिय घटना में निवारक उपाय सुनिश्चित हो।

3. सभी एसएआरए/एसएए को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त उद्धृत दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 में यथा विनिर्दिष्टत हैं। वे किशोरवय लड़कों व लड़कियों को ऐसी सभी अति आवश्यक व्यवस्था करें।

4. सभी एसएआरए द्वारा कारा को दिनांक 30 जून, 2018 तक उपरोक्त के अनुपालन की पुष्टि भेजी जाए।

ह/–

**(डॉ. डी.डी. पाण्डे)**
संयुक्त निदेशक

वितरणः
1. समस्त राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए),
2. समस्त विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए)

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

CARA
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
वेस्ट ब्लाक-8ए, विंग-2ए, द्वितीय मंजिल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
दूरभाष न.- 011-26105346 फैक्स न.- 011-261808198
ईमेल- carahdesk.wcd@nic.in

संख्या 87–1/2018–कारा दिनांक: 11.06.2018

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: डिजिटल लेनेदेन का बढ़ावा।**

मैं सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को यह सूचित करने के लिए निर्देशित हूं कि जुलाई, **2018** से सभी भुगतान/प्राप्तियां (जैसे दत्तक ग्रहण विनियम, **2017** के विनियम 46 के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता से दत्तक ग्रहण शुल्क की प्राप्ति, आरटीआई हेतु आवेदन शुल्क आदि) डिजिटल लेनदेन के जरिए करें। ऐसे डिजिटल लेनदेन के माध्यम में निम्नलिखित माध्यम शामिल है-

- **i.** आरबीआई डिजिटल भुगतान के प्रकार: मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग
- **ii.** एनपीसीआई डिजिटल भुगतान के प्रकार: बीएचआईएम, बीएचआईएम आधार, आईएमपीएस, एनएसीएच, यूएसएसडी, एईपीएस
- **iii.** बैंक डिजिटल भुगतान के प्रकार : मोबाईल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग

यह ध्यान दिया जा सकता है कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट को डिजिटल भुगतान के रूप में नहीं माना जाता है।

स. गुप्ता
11/6/18
(एस. के. गुप्ता)
लेखा अधिकारी, कारा

सेवा में,

**सभी विशेष दत्तक-ग्रहण अभिकरणों हेतू**

प्रति:

1) संबंधित विभाग के निदेशक (सदस्य सचिव, सारा)
2) कार्यक्रम प्रबंधक, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सारा
3) सदस्य सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा के निजी सचिव
4) संयुक्त निदेशक, कारा के निजी सहायक,
5) उप सचिव, कारा
6) सहायक कारा, कारा
7) प्रशासनिक अधिकारी, कारा

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
सत्यमेव जयते
CARA

संख्या–1–11–2018/संनि/परि. दिनांकः 20.06.2018

सेवा में,

समस्त विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक एजेंसियां (एसएए)

## परिपत्र

**विषयः दत्तक–ग्रहण पूर्व पालन पोशण संबंधी देखभाल में पीएपी के पास रखे बच्चे की वापसी/व्यवधान पर एसएए द्वारा सूचना देना**

1. हाल ही में, व्यवधान की कुछ घटनायें हमारे संज्ञान में आई हैं जहां देशीय पीएपी द्वारा दत्तक–ग्रहण पूर्व पालन पोषण संबंधी देखभाल में रखे गये बच्चे लौटाये गये हैं। इसमें अधिकांश मामले सीसीआई के बड़े बच्चों के हैं जो परामर्श नहीं देते हैं व बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार नहीं करते हैं। इस आशय का उक परिपत्र पहले ही फा.सं. 1–11–2017/संनि/परि. दिनांक 9 अक्तूबर, 2017 द्वारा जारी किया जा चुका है (उक्त की प्रति संलग्न है)।

2. दत्तक परिवारों से बच्चों की ऐसी वापसी/व्यवधान के कारणों/कारकों का पता लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इस संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

3. इसके अतिरिक्त, सभी एसएए को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि ऐसे व्यवधान की घटना घटित होने पर दत्तक–ग्रहण पूर्व पालन पोषण संबंधी देखभाल करने वाले पीएपी/दत्तक परिवारों से बच्चों की वापसी/व्यवधान से संबंधित सूचना संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करें।

ह/–

डी.डी. पाण्डे
संयुक्त निदेशक, कारा

प्रतिःसमस्त एसएआरए

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

**Central Adoption Resource Authority**
**केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**
**(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)**
**(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)**

फाइल नं. 1–11–2017 / संयुक्त निदेशक / परिपत्र

दिनांक–09 / 10 / 2017

**परिपत्र**

**विषय– एमईआर, मिलान प्रकिया और विच्छिन्नता से संबंधित मामले**

सभी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों (एसएए) का ध्यान देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की और आकर्षित किया जाता है–

(क) प्रायः ऐसा होता है कि सामान्य श्रेणी के तहत निर्दिष्ट बच्चे को चिकित्सीय समस्याएं होती हैं, जो एमईआर में नहीं दर्शाई जाती है और जब अभिभावक बच्चे की आमरक्षा कस्टडी लेने के लिए आते हैं, तो पूरक जांच में उनका पता चलता है। ऐसे मामलों में, यदि दत्तक ग्रहण अभिकरण (सरकार द्वारासंचालित और एनजीओ द्वारा संचालित एसएए दोनों) की लापरवाही पायी जाती हैं तो अभिकरण द्वारा चिकित्सीय शुल्क एंव माता–पिता के यात्रा किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) चूंकि बड़े बच्चों का दत्तक परिवार में समेकन में अधिक समय लगता है, सभी एसएए को दत्तक माता–पिता के साथ बड़े बच्चों का लगाव सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयाय करने की जरूरत है। इस संबंध में सभी एसएए से तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को स्वीकार करने से पहले कम से कम दो बार बच्चे की बैठकों की अनुमति देना अपेक्षित है।

(ग) इसके अतिरिक्त, देश में दत्तक ग्रहण में विच्छिन्नता के मामले में, सभी एसएए से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है कि माता–पिता को बच्चे को वापस करने की अनुमति देने से पहले दत्तक माता–पिता और बड़े बच्चे को कम से कम दो बार परामर्श दिए जाए। किसी भी मामले में निर्णय लेने में बच्चे के सर्वोत्तम हित पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

**ह / –**
**(जगन्नाथ पति)**
**संयुक्त निदेशक**

**प्रति–**

1. सभी राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण
2. सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण–कार्यान्वयन और आगे जिला बाल संरक्षण एककों को परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ताकि एसएए द्वारा इसके अनुपालन की सख्ती से निगरानी की जा सके।
3. सीडब्ल्यू– I I, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय को–सूचनार्थ प्रेषित।

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
सत्यमेव जयते
CARA

संख्याकृ4.37 / 2018 / कारा                                                                 दिनांकः 27.09.2018

सेवा में,

एफआरआरओ, समस्त विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय

**विषयः अंतर देशीय दत्तकग्रहण में स्थानन किए गए बच्चों के लिए एफआरआरओ द्वारा निकासी संबंधी अनुज्ञा पत्र**

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के अंतर्गत आने वाला भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है तथा अंतर देशीय दत्तक–ग्रहण को विनियमन के लिए भारत सरकार का केन्द्रीय प्राधिकरण है। दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 39 के अनुसार, एफआरआरओ को देश से बाहर यात्रा करने वाले दत्तक बच्चे को निकासी वीजा जारी करना आवश्यक होता है।

2. चूंकि दत्तक बच्चे मेट्रो स्टेशनों से देश के बाहर जाने हैं, वे उस शहर में एफआरआरओ से संपर्क करते हैं जहां से वे दत्तक बच्चे के साथ भारत छोड़ना चाहते हैं। एफआरआरओ न्यायालय द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अधीन जारी दत्तकग्रहण आदेश एवं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुरूपता प्रमाणपत्र के आधार पर दत्तक बच्चे के लिए निकासी वीजा जारी करेगा। तथापि, एफआरआरओ दत्तकग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 39 यथा अनुबंधित निकासी वीजा जारी करने में छूट दे सकता है एवं उस स्थान के विदेश पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) जहां से बच्चा गोद लिया गया है, से दत्तक बच्चे का निकासी अनुज्ञा पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

ह / –

(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)
सत्यमेव जयते
CARA

**परिपत्र संख्या–बी–110151/1/2017/परि./प्रशा–कारा/भाग–।।** **दिनांकः 25.10.2018**

**विषयः दत्तक–ग्रहण हेतु कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित बच्चे के दस्तावेज अपलोड करना**

1. कारा द्वारा बच्चे के दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों में कई विसंगतियां पाई गईः–

क) चिकित्सा जांच रिपोर्ट (एमईआर)

ख) बालक अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)

ग) सीडब्ल्यूसी द्वारा जारी कानूनी रूप से स्वतंत्र प्रमाणपत्र

घ) फोटोग्राफ

2. सुचारू रूप से अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए इसे दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 में दिये गये निर्धारित प्रारूपों के समनुरूप होना प्रासंगिक हैः

क) बच्चे **की चिकित्सा जांच रिपोर्ट (एमईआर)** कारा की वेबसाइट अर्थात् www.cara.nic.in पर दिनांक 17.10.2017 एवं 07.03.2018 के परिपत्र में दिये गये अद्यतन प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए।

दिनांक 17.10.2017 एवं 07.03.2018 के परिपत्र का सीधा लिंक निम्नानुसार हैः

http: / /cara.nic.in /PDF/ Circular /MER%20Circular.pdf

http: //cara.nic.in /PDF/ Circular /Identifyinge%20and%20Reporting%20Delay ed%20Milestones%200f%20 children%20in%20the%20Medical%20Examinati on%20Report.pdf

यह भी अनिवार्य है कि सभी चिकित्सीय जांच दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची– IV के अनुसार की जाएं। ये जांच रिपोर्ट शिशु रोग विशेषज्ञ की राय एवं सलाह के साथ एमईआर के आखिर में संलग्न भी की जाएं।

ख) बालक अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर) दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची–।। के अनुसार हो।

सीएसआर प्रारूप का सीधा लिंक निम्नानुसार हैः

http://cara.nic.in/pdf/schedule/2.pdf

सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ''सभी परिस्थितियों में जैविक माता–पिता से संबंधित सभी दस्तावेजों के मामलों में सख्ती से गोपनीयता बरती जाएगा जब तक कि अभ्यर्पण करने वाले माता–पिता उसे प्रकट करने की अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं'' जो **दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 7(20) में दी गई है।**

ग) बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी बालकों का कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने का प्रमाणपत्र दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 की अनुसूची–। में दिये गये प्रारूप के अनुसार हो। इस प्रमाणपत्र में सीडब्ल्यूसी के कम से कम तीन सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ मुहर लगी हो। ''कृपया उस बॉक्स(सों) को काट दें जो इस मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।'' यह सीडब्ल्यूसी

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)
Ph: +91-011-26180194, 26180196, Tollfree: 1800-11-1311, Telefax: +91-011-26180198
E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in

के प्रमाणपत्र में नोट के तौर पर भी दिया गया है।

परिपत्रों के लिए सीधा लिंक निम्मानुसार हैः

http://cara.nic.in/PDF/schedule/1.pdf

घ) बच्चे के फोटोग्राफ को दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 29(6) (ग) (iv) एवं अनुसूची XIII के पैरा 1 (ख) (iv) एवं अनुसूची XIV के पैरा 7 के अनुसार अद्यतनीकृत करना आवश्यक है। ये विनियम निम्नलिखित निर्धारित करते हैंः–

(i) प्रत्येक छः माह के अंतराल में लिये गये बच्चे के फोटोग्राफ;

(ii) छः माह से कम आयु वाले प्रत्येक बच्चे के छः माह से तीन वर्ष तक प्रत्येक माह के बच्चे के प्रत्येक तीन माह एवं इसके पश्चात प्रत्येक छः माह में फोटोग्राफ लिये जाएं;

(iii) विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण द्वारा बच्चे की कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की तारीख से दस दिनों के भीतर नवीनतम फोटोग्राफ के साथ बच्चे से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट एवं चिकित्सा जांच रिपोर्ट को अपलोड करना।

2. समस्त एसएए को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त उल्लिखित बिंदुओं का पालन करें (विनियम 29 देखें) एवं डीसीपीयू भी सुनिश्चित करें (विनियम 34 देखें)। इसके अतिरिक्त, एसएआरए से अनुरोध है कि वे इसे सुनिश्चित करें(विनियम 33 (2) देखें)।

3. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह/–

(विनीता झा)
**सहायक निदेशक**

प्रतिः

1. समस्त विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए)
2. समस्त जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू),
3. समस्त राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए)–अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए
4. सीडब्ल्यू-II, एमडब्लयूसीडी–सूचनार्थ।

Central Adoption Resource Authority
केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
(A Statutory Body of Ministry of Women & Child Development, Government of India)
(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सांविधिक निकाय)

सत्यमेव जयते

CARA

**संख्या...फाइल सं.–63–37 / 2018 / व्यवधान / कारा / एमएच** **दिनांक:27 / 02 / 2019**

## परिपत्र संख्या 1 / 2019

**गृह अध्ययन रिपोर्ट का अद्यतनीकरण / पुनर्वैधीकरण**

दत्तक–ग्रहण के प्रयोजनार्थ गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) का उद्देश्य भावी संभावित दत्तक माता–पिता (पीएपी) की पात्रता एवं उपयुक्तता का आकलन करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण व उसका माहौल तथा परिवार की स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति शामिल होती है। गृह अध्ययन रिपोर्ट का प्रारूप दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 की अनुसूची अपप में दिया गया है। (दत्तक–ग्रहण विनियमन, 2017 का विनियम 2(11) देखें)

2. दत्तक–ग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 9(12) के अनुसार, उक्त गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता तीन वर्ष की होती है जिसके उपरांत उक्त गृह अध्ययन रिपोर्ट को विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए) के सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा नवीनीकृत कराना होता है एवं अद्यनीकृत गृह अध्ययन रिपोर्ट को उनकी वर्तमान पात्रता एवं उपयुक्तता के अनुसार केयरिंग्स में अपलोड़ कराना आवश्यक होता है।

3. तथापि, पारिवारिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव(वों) अथवा निवास स्थान, रोजगार, काम की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति इत्यादि में होने वाले किसी प्रकार के परिवर्तन के मामले में गृह अध्ययन रिपोर्ट तीन वर्ष की समाप्ति की अवधि से पूर्व भी बदलावों को दर्ज करने के लिए किए जा सकें।

4. भावी दत्तक माता–पिताओं को गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए) द्वारा अद्यतनीकृत / पुनर्वैधीकृत किये जाने पर ही पात्र एवं उपयुक्त घोषित किया जाएगा।

5. संभावित दत्तक माता–पिताओं को अपनी एचएसआर के अद्यतनीकृत / पुनर्वैधीकृत प्राप्त करना का उत्तरदायित्व उनका ही होगा।

6. गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने / उसका अद्यतन करने / उसका पुनर्वैधीकरण करने के शुल्क का विवरण पूर्व के परिपत्र सं. 1 / 2018 दिनांक 3.4.2018 में विस्तार से दिया गया है।

**ह / –**

(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव एवं सीईओ

प्रतिः
समस्त राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए),
समस्त जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू),

West Block-VIII, Wing-II, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

अध्याय : 6

# 2018–19 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और वार्षिक आंकड़े

**वर्ष 2018–19 हेतु**
**(31 मार्च, 2019 को समाप्त)**
**केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण,**
**नई दिल्ली**
**के लेखापरीक्षित खातों के संबंध में**
**सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट**

**By: SPEED POST**

**कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002**
**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE)**
**INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110002**
दूरभाष/**Phone: 011-23454316** फैक्स/**Fax 23702271** ईमेल / **Email: amg3hq@gmail.com**

सत्यमेव जयते

**संख्या**/No. AMG-III/4-57/SAR/CARA/2019-20/842 **दिनांक/Dated:** 19.11.2019

सेवा में

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

**विषय: वर्ष 2018-19 के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

महोदय / महोदया

**मैं, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2018-19 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीय

अनुलग्नक : यथोपरि

*हस्ता*//-

**निदेशक ( ए.एम.जी.-III )**

डायरी नं......./ Dy. No. 4712
दिनांक........./ Date 20.11.19
केन्द्रीय–दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
Central Adoption Resource Authority
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development
भारत सरकार / Government of India
पश्चिमी खण्ड–8, विंग–2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram
नई दिल्ली / New Delhi-110066

20 Nov 2019

Accounts Officer

***By: SPEED POST***

**संख्या**/No. AMG-III/4-57/SAR/CARA/2019-20/843 **दिनांक/Dated** 19.11.2019

प्रतिलिपि : श्री दीपक कुमार, सचिव, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, वेस्ट ब्लॉक 8, विंग-2, आर के पुरम, दिल्ली-110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है | यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजो की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं |

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए | यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं |

अनुलग्नक : यथोपरि

अतुल प्रकाश

**निदेशक ( ए.एम.जी.-III )**

**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (कारा) के 31 मार्च, 2019 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एंव व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करना कारा की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2 इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धितयों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन–देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3 हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामन्यता स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, परिक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनायें गए लेखाकंन सिद्धांतो और किये गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्याकंन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय का एक उचित आधार प्रदान करती है।

4 अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि :

i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन पत्र, आय और व्यय के लेखों और प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारे विचार से, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकॉडों का रख–रखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते है कि :

**क. तुलन–पत्र**

**क. 1 परिसंपत्तियां**

**क. 1.1 अचल परिसंपत्तियां (अनूसची 8) – 54.25 लाख रुपये**

**क. 1.1.1** कारा ने वर्ष 2018–19 के दौरान 2.46 लाख रुपये के दो लैपटॉप खरीदे। इन मदों को अचल आस्तियों के तौर पर पूंजीकृत नहीं किया गया था इसके बजाय इन्हें राजस्व व्यय के तौर पर बही में लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल आस्ति कम बनाया एवं 2.46 लाख रुपये के व्यय की अधिकता को प्रस्तुत किया गया।

**क. 1.2 निवेश (अनुसूची 10) – 169.55 लाख रुपये**

**क. 1.2.1** वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में गैर–सरकारी भविष्य निधियों के निवेश के लिए निर्धारित पैर्टन के अनुसार, अधिवर्षिता निधि एवं उपदान निधि का अधिकतम 45 प्रतिशत राशि को ही बैंकों में सावधि जमा के तौर पर निवेश किया जा सकता है। कारा ने उपदान एवं छुट्टी वेतन की 169.55 लाख रुपये की सभी संचित निधियां सिंडीकेट बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा के रूप निवेश की जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैर्टन के अनुरूप नहीं है।

**ख. आय एवं व्यय लेखा**

**ख.1 आय**

**ख.1.1** महिला एवं बाल विकास मंत्राल ने मार्च, 2019 में वित्त वर्ष 2018–19 की चौथी तिमाही के लिए 57.03 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। सहायता अनुदान में से, कारा को 31.03.2019 तक 38.02 लाख रुपये का अनुदान वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ था। अनुदान की 19.01 लाख रुपये को शेष राशि को लेखाओं में नहीं बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप आय के अतिरिक्त 19.01 लाख रुपये कम दर्शाया गया , साथ ही चालू आस्तियों (प्राप्य अनुदान) को भी इतन कम दर्शाया गया ।

**ग. लेखों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची–24) के आधार**

**ग.1** अचल आस्तियों के मूल्याह्रास को 01.04.2018 से आय कर अधिनियम में यथा विनिर्दिष्टित दरों के अनुसार डब्ल्यूडीवी विधि में प्रदान किया गया है। इसके अलावा, इसे लेखाओं की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार अनुसूची–24 में बनाया गया है कि वर्ष के दौरान ''वर्ष के दौरान परिवर्धन/वियोजन पर मूल्याह्रास मासिक यथानुपात पर माना जाता है'' जबकि आय कर अधिनियम के अनुसार यथानुपात मूल्याह्रास की गणना दो अर्धवार्षिक आधार पर की जानी चाहिए।

**घ. सामान्य**

**घ.1** किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम राशि के एवज में अर्जित सभी ब्याज अथवा अन्य आय को लेखाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात अविलंब अनिवार्य रूप से भारतीय समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे ब्याज को भावी निर्गमन में

समायोजित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कारा ने वर्ष के दौरान अर्जित आय को मंत्रालय को प्रेषित नहीं किया है ताकि उसे भारतीय समेकित निधि में प्रेषित किया जा सके जो जीएफआर 2017 नियम 230(8) का उल्लंघन है।

**घ.2** दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 1132.06 लाख रूपये की अग्रिम राशि बकाया थी। लेकिन संबंधित अभिकरणों से बिलों के समायोजन के अभाव में अग्रिम राशि प्रदान की गई थी वह पूरे हो चुके हैं, अधिकतम कार्य जिनके लिये केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने न तो राजस्व व्यय को बही में दर्ज किया है और न ही व्यय को पूंजीकृत किया है जहां इन अग्रिमों के माध्यम से परिसंपत्तियों बनाई गई थी। अग्रिम को लम्बन का यह मामला 2008–09 से इन दीर्घकालिक शेष अग्रिम राशि का समायोजन करने की आवश्यकता है। इसे पिछले वर्षों दौरान भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। लेकिन कारा द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

**घ.3 वेतन की गणना प्रोद्भवन आधार के बजाय नकद आधार की गई थी।**

**ड) सहायता अनुदान**

वर्ष 2018–19 के लिए मंत्रालय से प्राप्त सहायता प्रदान और उसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है–

(लाख रूपये में)

| विवरण | कुल |
|---|---|
| पिछले वर्ष का अव्ययित शेष | 33.61 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान | 847.38 |
| विविध प्राप्तियां | 22.05 |
| कुल उपलब्ध निधि | 903.04 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान व्यय | 893.15 |
| **अव्ययित शेष** | **9.89** |

**च) प्रबंधन पत्र**– जो कमियां लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, वे उपचारी/शोधक कार्यवाई के लिए अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

5) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणीओं के अध्यधीन, हम यह जानकारी देते है कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन तथा आय और व्यय लेखा और प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप है।

6) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखापरीक्षा के अनुबंध में उल्लखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप हैं :–

क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन पत्र से है, और

ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–
**लेखापरीक्षा महानिदेशक**
**केंद्रीय व्यय**

**स्थान – नई दिल्ली**
**दिनांक 19.11.2019**

## अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

**(1)** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69(4) के अनुसार, संचालन समिति की बैठक माह में एक बार की जानी चाहिए। हालांकि, वर्ष 2018–19 के दौरान संचालन समिति की केवल सात बैठकें आयोजित की गई हैं।

(2) अधिवर्षिता निधि का निवेश वित्त मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

**(3)** सांविधिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008–2009 से 2013–17 की अवधि के 9 लेखापरीक्षा पैरा बकाया है।

उपरोक्त के अनुसार, कारा में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत हैं–

### 3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 04.11..2016 तक किया गया।

### 4. वस्तुओं की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

(i) पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन 22.11.2017 तक किया गया।

(ii) लेखन समग्री तथा उपभोग्य सामग्री का भौतिक सत्यापन 28.03.2018 तक किया गया।

### 5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देनदारियों जैसे कि आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संबंध में 31.03.2019 को 6 माह से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

# केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

## महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
## भारत सरकार

# यथा दिनांक 31/03/2019 तक का वित्तीय विवरण

वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष–91–011–26180196, टोल फ्री–1800–11–1311, टेलीफैक्स–91–011–26180198

## वित्तीय विवरण

## केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

1

**31 मार्च, 2019 तक का तुलन पत्र**

(राशि रुपयों में)

| विवरण | अनुसूची | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| कॉरपस / पूंजीगत निधि एवं देयताएं | | | |
| पूंजीगत निधि | 1 | 114,134,143.00 | 121,610,331.00 |
| आरक्षित एवं आधिक्य | 2 | - | - |
| चिह्नित / अक्षय निधि | 3 | - | - |
| सुरक्षित ऋण एवं उधारियां | 4 | - | - |
| असुरक्षित ऋण एवं उधारियां | 5 | - | - |
| विलंबित ऋण देयताएं | 6 | - | - |
| मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान | 7 | 22,868,805.00 | 21,603,627.00 |
| व्यय पर आय का आधिक्य | | | |
| **कुल** | | **137,002,948.00** | **143,213,958.00** |
| <u>परिसंपत्तियां</u> | | | |
| अचल परिसंपततियां | 8 | 5,425,595.00 | 6,163,007.00 |
| चिह्नित अक्षय निधि से निवेश | 9 | - | - |
| निवेश – अन्य | 10 | 16,955,279.00 | 16,590,758.00 |
| मौजूदा परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि | 11 | 114,622,074.00 | 120,460,193.00 |
| विविध व्यय<br>(बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक) | | | |
| **कुल** | | **137,002,948.00** | **143,213,958.00** |

2

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

**01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा**

(राशि रुपयों में)

| विवरण | अनुसूची | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| आय | | | |
| बिक्री / सेवाओं से आय | 12 | - | - |
| अनुदान / सहायिकी | 13 | 86,513,390.00 | 91,841,140.00 |
| शुल्क / अभिदान | 14 | 150,000.00 | 50,000.00 |
| निवेश से आय (निवेश से आय चिह्नित / अक्षय निधि से) | 15 | - | - |
| रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय | 16 | - | - |
| अर्जित ब्याज | 17 | 1,749,381.00 | 1,668,560.00 |
| अन्य आय | 18 | 30,123.00 | 147,852.00 |
| तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और चालू कार्य | 19 | - | - |
| **कुल क** | | **88,442,894.00** | **93,707,552.00** |
| व्यय | | | |
| स्थापना व्यय | 20 | 35,175,546.00 | 26,137,589.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 21 | 60,006,124.00 | 42,073,161.00 |
| अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय | 22 | - | - |
| ब्याज | 23 | - | - |
| मूल्यह्रास (वर्ष कें अंत मे निवल योग – अनुसूची–8 के अनुरूप) | | 1,333,448.00 | 1,973,061.00 |
| **कुल ख** | | **96,515,118.00** | **70,183,811.00** |
| **व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)** | | **(8,072,224.00)** | **23,523,741.00** |
| विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें) | | | |
| सामान्य रिजर्व से / में अंतरण | | | |
| **पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य / (घाटा) के कारण शेष** | | **(8,072,224.00)** | **23,523,741.00** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 24 | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां | 25 | | |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड : 8 विंग 2 द्वितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली –110006

3

**01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान**

(राशि रुपयों में)

| प्राप्तियां | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 2018-19 | 2017-18 | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
| | | | | | |
| **(i) हाथ शेष** | | | (i) व्ययः | | |
| (क) हाथ रोकड़ | 12016 | 16,461 | (क) स्थापना व्यय | 31,721,673 | 26,658,550 |
| (ख) बैंक में जमा राशि | - | - | (ख) प्रशासनिक व्यय | 32,066,793 | 41,833,649 |
| (i) चालू खातों में (अव्ययित शेष) | - | - | (ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान | 510,999 | - |
| (ii) जमा खातों में | - | - | | | - |
| (iii) बचत खाता सिंडिकेट बैंक | 3,272,967 | 243,200 | **(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों** | | - |
| यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया | 771,873 | 4,067,814 | **के लिए किया गया भुगतान :** | | - |
| आईडीबीआई बैंक | 32,746 | 32,103 | (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान | | - |
| | - | - | के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना | | - |
| **(ii) अग्रिम समायोजन** | 962,479 | 31,406,749 | का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए) | | - |
| | - | - | | | - |
| **(iii) प्राप्त अनुदान** | - | - | **(III) किया गया निवेश और जमा :** | | - |
| (क) भारत सरकार से :– | - | - | (क) चिह्नित/अक्षय निधि में से | | - |
| राजस्व व्यय | 84,141,914 | 87,225,294 | (ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश) | 9,851,065 | 12,320,210 |
| पूंजीगत व्यय | 596,036 | 475,021 | | | - |
| (ख) राज्य सरकार से | - | - | **(IV) स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय और** | | - |
| (ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा) | - | - | चालू कार्य में पूंजी | | - |
| अलग से दर्शाया गया है) | - | - | (क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद | 596,036 | 475,021 |
| | - | - | (ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय | | - |
| **(iv) निवेश पर निम्नलिखित से आय :** | - | - | | | - |
| (क) चिह्नित/अक्षय निधि | - | - | **(V) ऋण और अग्रिम :** | | - |
| (ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत) | 11,081,063 | 3,375,139 | (क) भारत सरकार को | | - |
| | - | - | (ख) राज्य सरकार को | | - |
| **(v) प्राप्त ब्याज** | - | - | (ग) अन्य को | 25,892,234 | 43,308,900 |
| (क) बैंक जमा राशि पर | - | - | | | - |
| (ख) ऋण अग्रिम आदि | - | - | **(VI) वित्तीय प्रभार (ब्याज) :** | | - |
| (ग) बचत खाता | 414,197 | 924,290 | | | - |
| (घ) निवेश और अन्य सें प्राप्त ब्याज | 248,605 | 744,270 | | | - |
| | - | - | **(VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) :** | | - |
| **(vi) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)** | - | - | प्रतिभूति जमा | 128,000 | 45,000 |
| विविध : प्राप्तियां | 17,020 | 77,972 | | | - |
| एफएससी | 12,376 | 2,209 | **(VIII) अंत शेष :** | | - |
| अन्य आय (ईपीएफ) | 41,908 | - | (क) हाथ रोकड़ | 4,196 | 12,016 |
| आरटीआई के लिए प्राप्ति | 727 | 410 | (ख) बैंक में जमा राशि | | - |
| फीस और शुल्क | 150,000 | 50,000 | (क) चालू खातों में | | - |
| फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट | - | - | (ख) जमा खातों में | | - |
| | - | - | (ग) बचत खातों में (यूबीआइ) | 574,742 | 771,873 |
| **(vii) उधार ली गई राशि :** | - | - | आईडीबीआई | | 32,746 |
| | - | - | सिंडिकेट बैंक | 410,189 | 3,272,967 |
| **(viii) कोई अन्य प्राप्तियां** | - | - | | | - |
| **(ब्यौरा दें) :** | - | 90,000 | | | - |
| (प्रतिभूति जमा) | - | - | | | - |
| **कुल** | **101,755,927** | **128,730,932** | **कुल** | **101,755,927** | **128,730,932** |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड : 8 विंग 2 दवितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली –110006

4

**31 मार्च, 2019 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां**

(राशि रुपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| **अनुसूची 1 – पूंजीगत निधि :** | | |
| वर्ष के प्रारंभ में शेष बकाया | 121,610,331.00 | 97,611,569.00 |
| जोड़ें : अव्ययित पिछले वर्ष के योगदान | - | |
| | 121,610,331.00 | |
| जोड़ें : कॉरपस/पूंजीगत निधि में अंशदान | 596,036.00 | 475,021.00 |
| जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन | | |
| जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष/(व्यय) | (8,072,224.00) | 23,523,741.00 |
| घटाएं : अथ शेष | | |
| आय एवं व्यय लेखा | | |
| घटाएं : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित | | |
| **वर्ष की समाप्ति पर शेष** | **114,134,143.00** | **121,610,331.00** |
| **अनुसूची 2 – रिजर्व एंव अधिशेष :** | | |
| 1. पूंजीगत रिजर्व : | | |
| पिछले लेखे के अनुसार | - | - |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि | - | - |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतिया | - | - |
| | - | - |
| 2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व : | - | - |
| पिछले लेखे के अनुसार | - | - |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि | - | - |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां | - | - |
| 3. विशेष रिजर्व : | | |
| पिछले लेखे के अनुसार | - | - |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि | - | - |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां | - | - |
| 4. सामान्य रिजर्व : | | |
| पिछले लेखे के अनुसार | - | - |
| वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि | - | - |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड : 8 विंग 2 दवितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली –110006

8

31 मार्च 2019 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 7–वर्तमान देयतायें एवं प्रावधान | | |
| क. वर्तमान देयताएं | | |
| अव्ययित सहायता अनुदान | 989127 | 3,360,603 |
| व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार) | 704546.00 | 1,077,152 |
| ईपीएफ संगठन | 41908 | - |
| प्रतिभूति जमा | 1001070 | 218,000 |
| टीडीएस संविदाकार | - | 5,691 |
| टीडीएस व्यावसायिक वेतन | - | 132,702 |
| टीडीएस किराया | - | - |
| कर्मचारी खाता बी.के साहू | 57333 | |
| कर्मचारी खाता जे.पति | 15275 | |
| कर्मचारी खाता सुदर्शन नायडू | 28991 | |
| कर्मचारी खाता वीरेन्द्र कुमार मिश्रा | 15376 | |
| सुश्री उषा मल्होत्रा | | |
| श्री विजय सिंह | | |
| देय टीए | | |
| कुल ख | 2,853,626 | 4,794,148 |
| प्रावधान | | |
| 1. काराधान के लिए | | |
| 2. उपदान | 10606354 | 8,921,007 |
| 3. अधिवर्षिता / पेंशन | | |
| 4. संचित छुटटी नकद भुगतान | 9408825 | 7,888,472 |
| 5. व्यापार वारंटियां / दावे | | |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)<br>स्थापना का प्रावधान और स्थापना व्यय ,अनुबंध डी | | |
| व्यय के लिए प्रावधान | | |
| कुल ख | 20,015,179 | 16,809,479 |
| कुल क+ख | 22,868,805 | 21,603,627 |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड : 8 विंग 2 दवितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली –110006

9

अनुसूची 8 : स्थायी परिसंपत्तियां : जानकारी अनुलग्नक ए के अनुसार

स्थायी परिसंपत्तियां 31.3.2019 तक

(राशि रु. में)

| विवरण | कुल संपत्तियां | | | | | विवरण | | | | | शुद्ध कुल संपत्तियां | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के शुरू में मूल्यों पर लिखा हुआ | वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि | वर्ष के दौरान की गई कटौती | लिखा हुआ मूल्यों पर वर्ष के अंत के पहले डिप | वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन | वर्ष के प्रारंभ में | वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि पर | वर्ष के दौरान की गई कटौती पर | अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रत्येक वर्ष हेतु | वर्ष के अंत तक कुल | पिछले वर्ष के अंत तक |
| **क. स्थायी परिसंपत्तियां** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. भमि : | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क) पूर्णस्वामित्व | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) पट्टे पर | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. भवन : | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ख) पटटे की जमीन पर | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| संस्था की नहीं है | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. संयत्र मशीनरी | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| एवं उपस्कर | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. वाहन | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.फर्नीचर, फिक्सचर्स | 4,849,787 | 2,917,892 | 94,946 | - | 3,012,838 | 1,958,049 | 301,286 | - | - | 2,259,335 | 2,711,552 | 2,917,892 |
| 6. कार्यालय उपस्कर | 2,635,988 | 1,305,580 | 333,440 | 94,946 | 1,544,074 | 1,330,408 | 222,987 | - | - | 1,553,395 | 1,321,087 | 1,305,580 |
| 7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटरी से जुड़ी वस्तुएं | 5,519,804 | 1,939,161 | 262,596 | - | 2,201,757 | 3,580,643 | 809,175 | - | | 4,389,818 | 1,392,582 | 1,939,161 |
| 8. विद्युत संस्थापना | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. नलकूप एवं जलापूर्ति | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.अन्य स्थायी परिसंपत्तियां | 45,521 | 374 | | - | 374 | - | - | - | - | - | 374 | 374 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **कुल** | **13,051,100** | **6,163,007** | **690,982** | **94,946** | **6,759,043** | **6,869,100** | **1,333,448** | **-** | **-** | **8,202,548** | **5,425,595** | **6,163,007** |
| **ख. पूंजीगत चालू कार्य** | | | | | | | | | | | - | |
| **कुल जोड़** | **13,051,100** | **6,163,007** | **690,982** | **94,946** | **6,759,043** | **6,869,100** | **1,333,448** | **-** | **-** | **8,202,548** | **5,425,595** | **6,163,007** |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड : 8 विंग 2 दवितीय तल, आर के पुरम, नई दिल्ली –110006

10

## 31 मार्च 2019 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 9 – अभिनिर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश : | | |
| 1.सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | - | - |
| 3. शेयर | - | - |
| 4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स | - | - |
| 5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम | - | - |
| 6. अन्य ( विनिर्दिष्ट किया जाए ) | - | - |
| **कुल** | **-** | **-** |

| | | |
|---|---|---|
| अनुसूची 10 – निवेश – अन्य : | | |
| 1.सरकारी प्रतिभूतियों में | - | - |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में | - | - |
| 3. शेयर | - | - |
| 4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स | - | - |
| 5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम | - | - |
| 6. अन्य ( विनिर्दिष्ट किया जाए ) | - | - |
| उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है | | |
| मियादी जमा (सिंडिकेट/यूबीआई बैंक के पास) | 16,955,279.00 | 16,590,758.00 |
| **कुल** | **16,955,279.00** | **16,590,758.00** |

# वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

11

## 31 मार्च, 2019 तक के आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| | | |
| अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | | |
| | | |
| क. चालू परिसंपत्तियां : | | |
| 1. संपत्ति – सूची : | | |
| क) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे | - | - |
| ख) खुले औजार | - | - |
| ग) स्थायी खजाना | - | - |
| तैयार माल | - | - |
| प्रगति में कार्य | - | - |
| कच्चा माल | - | - |
| कुल | | |
| 2. विविध देनदार : | | |
| क) छः माह से अधिक अवधि के ऋण | | - |
| ख) अन्य | | - |
| | | |
| 3. हस्तगत बकाया रोकड़ (चौक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) : | 4196 | 12,016.00 |
| | | |
| 4. बैंक में जमा राशि : | | |
| क) अनुसूचित बैंकों में : | | |
| * चालू खातों में | | |
| * जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित) | | |
| * बचत खातों में | 984,931.00 | 4,077,586.00 |
| | | |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में | | |
| * चालू खातों में | | |
| * जमा खातों में | | |
| * बचत खातों में | | |
| कुल | | |
| 5. डाकघर– बचत खाते | | - |
| | | |
| **कुल** | **989,127.00** | **4,089,602.00** |

12

| | | |
|---|---|---|
| ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपततियां | | |
| 1. ऋण : | | |
| क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख' ) | 105065 | 93,494.00 |
| ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्नध्समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं | | |
| ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | |
| **2. अग्रिम और अन्य राशि की वसूली नगदी या वस्तू के रूप में प्राप्त किया जाना** | | |
| क) पूंजीगत खाते में | | |
| ख) पूर्व भुगतान | | |
| ग) अन्य : | | |
| अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता | 7521305 | 6,571,707.00 |
| एनआईसी | 3826136 | 3,826,136.00 |
| के.लो.नि.वि. | 8985172 | 8,985,172.00 |
| अग्रिम वेतन (श्री दीपक कुमार– मुख्य कार्यकारी अधिकारी) | | |
| प्रतिभूति जमा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवासीय फोन) | | 156,000.00 |
| डीएवीपी | 72609808 | 59,374,180.00 |
| घ) डाक–व्यय अग्रिम | 27344 | 27,344.00 |
| एनआईसीएसआई | 7140933 | 5,260,474.00 |
| डी.जी.एस. एण्ड डी. | 63459 | 63,459.00 |
| संपत्ति निदेशालय | 8000 | 8,000.00 |
| विदेशी अग्रिम यात्रा भत्ता | 3564 | 3,564.00 |
| सीआईडी पीएचओ भोपाल | - | - |
| श्रीमती ऊषा मल्होत्रा | 25000 | 25,000.00 |
| राष्ट्रीय फिल्म निर्माण निगम | 13025000 | 30,732,894.00 |
| **3. उपार्जित आय :** | | |
| क) निर्धारित/बंदोबस्ती फंड निवेश के लिए | | |
| ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर) | 18627 | 823,162.00 |
| ग) ऋणों एवं अग्रिम से | | |
| घ) अन्य (आय की वजह से अचेतन ब्याज प्राप्त करने योग्य भी शामिल है | 273534 | 420,005.00 |
| अनुदान सहायता प्राप्त करने योग्य | | |
| **4. दावों को प्राप्त करने योग्य** | | - |
| | | |
| **कुल (ख)** | **113,632,947.00** | **116,370,603.00** |
| **कुल (क ख)** | **114,622,074.00** | **120,460,205.00** |

# वित्तीय विवरण

## केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

14

31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | | |
|---|---|---|
| <u>अनुसूची 13 – अनुदान/सहायिकी</u> | | |
| (अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी) | | |
| जोड़ें:– प्रारंभिक अव्ययित अनुदान | 3,360,603 | 7,976,449 |
| 1) केंद्र सरकार | 84,737,950 | 87,700,315 |
| घटाएं : – प्रारंभिक अव्ययित अनुदान 31/03/2019 तक | 989127 | 3,360,603 |
| जोड़ें :– राशि अंतर.ा के पूंजीगत निधि | 596036 | 475,021 |
| 2) राज्य सरकार (रें) | | |
| 3) सरकारी अभिकरण | | |
| 4) संस्थाएं/कल्याण निकाय | | |
| 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन | | |
| 6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | **86,513,390** | **91,841,140** |

वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

15

31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| **अनुसूची–14 शुल्क/ अंशदान** | | |
| प्रवेश शुल्क | | - |
| वार्षिक शुल्क/अंशदान | | - |
| सेमीनार/ कार्यक्रम शुल्क | | - |
| परामर्श शुल्क | | - |
| अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | - |
| जुर्माना | 150,000.00 | 50,000.00 |
| कुल | **150,000.00** | **50,000.00** |

## वित्तीय विवरण

### केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पशचिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

**18**

31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों मे)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज | | |
| 1) मियादी जमा पर रू | | |
| क) अनुसूचित बैंको से | 1118012 | 744,270 |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंको से | | - |
| ग) संस्थाओं से | | - |
| घ) अन्य | | - |
| 2) बचत खातों पर : | | |
| क) अनुसूचित बैंको से | 631369 | 924290 |
| ख) गैर–अनुसूचित बैंको से | | - |
| ग) संस्थाओं से | | - |
| घ) अन्य | | - |
| 3) ऋणों पर : | | |
| क) कर्मचारी / स्टाफ | | - |
| ख) अन्य | | - |
| 4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज | | - |
| कुल | **1,749,381** | **1,668,560** |

नोटरू स्रोत पर कर कटौती का उत्तेख किया जा,।

## वित्तीय विवरण

### केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पशचिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

19

### 31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 18 – अन्य आय : | | |
| 1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ | | |
| क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां | | |
| ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां | | |
| 2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन | | |
| 3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क | | |
| 4) विविध आय | 17020 | 145,233 |
| पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री | | |
| फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट | | |
| आरटीआई शुल्क | 727 | 410 |
| प्राप्त विदेशी अनुदान | | |
| अंतरराष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता) | | |
| एफएससी अभिलेख (छुट्टी वेतन) खाता | 12376 | 2,209 |
| **कुल** | **30,123** | **147,852** |

# वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

21

## 31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 20 – स्थापना व्यय : | | |
| क) वेतन और मजदूरी | 22,145,143 | 20,364,545 |
| ख) जनशक्ति प्रभार (अनुबंधित कर्मचारी) | 2,384,768 | |
| ग) भत्ते, बोनस और मानदेय | 151,712 | 86,744 |
| घ) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति | 151,500 | 347,200 |
| ड) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान | 2,346,562 | 929,703 |
| च) चिकित्सा व्यय | 621,522 | 535,204 |
| छ) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय | 270,933 | 343,557 |
| ज) भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान | 1,602,158 | 1,413,628 |
| झ) ईडीएलआई (पीएफ) | 15,525 | 18,000 |
| ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार | 106,716 | 150,904 |
| एफएससी | 1,886,940 | 227,100 |
| पट्टा किराया | 444,970 | 775,232 |
| ट) समायोपरि भत्ता | 3,047,097 | 945,772 |
| संचित छुट्टी वेतन प्रावधान | | |
| **कुल क+ख** | **35,175,546** | **26,137,589** |

## वित्तीय विवरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

22

### 31 मार्च, 2019 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रूपयों में)

| विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|
| अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय | | |
| विज्ञापन और प्रचार | 28,240,010 | 9,740,022 |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 2,785 | 286,520 |
| बैंक प्रभार | 1,097 | 2,646 |
| केयरिंग्स शुल्क | 5,661,005 | 5,838,927 |
| कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री | 46,161 | 31,500 |
| परामर्श प्रभार | 13,285,332 | 10,962,195 |
| वाहन व्यय | 25,580 | 63,022 |
| काउंसलिंग सेंटर | - | 211,558 |
| हिंदी पखवाड़ा व्यय | 14,000 | 40,000 |
| टीए/डीए सलाहकार समिति | 1,239,389 | 677,318 |
| हॉस्पिटैलिटी | 19,680 | 45,048 |
| निरीक्षण और निगरानी व्यय | 99,373 | 342,359 |
| इंटर्नशिप व्यय | 63,613 | 122,493 |
| मानचित्रण एवं लिंकेज | - | 143,051 |
| बैठक व्यय | 155,646 | 115,426 |
| समाचार पत्र, किताबें और पत्रिकाओं | 34,495 | 49,942 |
| कार्यालय–व्यय | 55,560 | 75,323 |
| डाक और तार प्रभार | 135,282 | 109,246 |
| प्रिटिंग व्यय | 212,844 | 218,673 |
| व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी | 79,392 | 81,519 |
| भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय | 15,093 | 49,892 |
| कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव | 2,750 | 78,143 |
| कार्यालय फनीचर की मरम्मत एवं रखरखाव | - | 106,380 |
| कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव | 180,687 | 40,043 |
| अनुसंधान और मूल्यांकन व्यय | - | - |
| सुरक्षा एवं सफाई व्यय | 1,990,791 | 2,420,481 |
| बैठक शुल्क | 653,500 | 503,000 |
| लेखन सामग्री | 734,000 | 553,424 |
| टेलीफोन प्रभार | 664,409 | 897,884 |
| निशुल्क हैल्पलाइन व्यय | 551,624 | 824,653 |
| प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय | 2,328,846 | 5,615,143 |
| यात्रा व्यय | 690,415 | 756,672 |
| वाहन किराया (कार) | 883,732 | 1,004,358 |
| जल एवं विद्युत प्रभार | 56,080 | 66,300 |
| अंर्तदेशीय टीए व्यय | 75,193 | |
| एनईआर व्यय | 1,807,760 | |
| **कुल** | **60,006,124** | **42,073,161** |

# वित्तीय विवरण

## केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
## वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

### 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

**अनुसूची– 24**

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

1. **लेखांकन रीति :**
   वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन आधार पर से तैयार किए गए हैं।
2. **सामान सूची का मूल्यांकन** :
   भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
3. **निवेश** :
   "दीर्घकालिक निवेष" के रूप में वर्गीकृत निवेष लागत पर किए जाते हैं।
4. **स्थायी परिसंपततियां :**
   4.1 स्थायी परिसंपततियां आवक माल भाड़े, षुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।
   4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गईं स्थायी परिसंपततियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।
5. **मूल्यह्रास :**
   5.1 वर्ष 2017–18 के लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में आयकर अधिनियम के अनुसार सी एंड एजी द्वारा सुझाए गए पद्धति 01.04.2018 से निर्दिष्ट दरों के अनुसार डब्ल्यूडीवी पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।
   क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपततियों में परिवर्धनध्कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर किया जाता है।
   ख. 5000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपततियां पूर्णरूप से दी गई हैं।
   ग. स्थायी परिसंपततियों का अवषिश्ट मूल्य कुल लागत के 5ः की दर पर किया गया है।
6. **सरकारी अनुदान/सहायिकीः**
   6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।

6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विषिश्ट अनुदेष के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपततियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राषि, जब तक स्पश्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राषि के अंतर्गत दर्षाई गई है।

**7. पट्टा :**

पट्टा किराए की राषि पटटे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

**8. सेवानिवृत्ति लाभ :**

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर उपार्जित की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इसका परिकलन वास्तविक गणना और यथानुपात आधार पर किया जाता है।

# वित्तीय विवरण

## केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

## वेस्ट ब्लॉक–8, विंग–2, दूसरा तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

**31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां**
**अनुसूची – 25**

### आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए आकसमिक देयताएं षून्य रुपये हैं।
2. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपततियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्षाई गई राषि के योगफल के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राषि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
4. पिछले वर्श के तदनुरूपी/ समतुल्य आंकड़े आवष्यकतानुसर पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित किए गए हैं। हालांकि, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के प्राप्ति और भुगतान विवरण के संबंध में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्श 2016–17 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई सूचना/ सुझाव के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्श हेतु प्राप्ति और भुगतान खाते के आंकड़े केवल उक्त वर्श के दौरान प्रत्येक षीर्श/मद के तहत किए गए नकद भुगतान और नकद प्राप्तियां दर्षाते हैं। पिछले वर्श व्यय षीर्श/मद को छोड़कर, प्राप्ति पक्ष में दर्षाए गए आंकड़े उस वर्श के प्रारंभिक षेश दर्षा रहे है और भुगतान पक्ष उस विषेश षीश/मद के तहत अंतिम षेश राषि दर्षा रहे है। तदनुसार प्राप्ति और भुगतान में वित्तीय वर्श 2017–18 के आंकड़ों की तुलना पिछले वर्श के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।
5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्श के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं ।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड –8 विंग–2 द्वितीय तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110006

31

प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम

**31.3.2018 तक की स्थिति** अनुलग्नक –ख

| क्रम.सं. | गैर सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम | निर्मुक्ति की तिथि | राशि | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 1 | आईसीसीडब्लयू, नई दिल्ली | 19.8/10.9.2008 | 618,860 | |
| 2 | यशोदा पुणे | | 55,000 | |
| 3 | निदेशक डब्ल्यूसीडी, रायपुर | 03.06.2010 | 164,320 | |
| 4 | निदेशक डब्ल्यूसीडी, चण्डीगढ | 18.06.2010 | 164,320 | |
| 5 | निदेशक डब्ल्यूसीडी,आंध्र प्रदेश | 24.02.2011 | 248,808 | |
| 6 | राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड | 02.09.2011 | 99,704 | |
| 7 | आईसीडीएस सोसायटी, बैंगलुरू, कर्नाटक | 20.10.2011 | 54,400 | |
| 8 | निदेशक डब्ल्यूसीडी बैंगलोर | 26.06.2013 | 17 | |
| 9 | चौयरमैन, वीसीए, हैदराबाद | 1/17/2014 | 36,585 | |
| 10 | आयुक्त, और राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे | 16.12.2014 | 237,510 | |
| 11 | निदेशक गोआ लोक प्रशासन संस्थान | 10.03.2015 | 109,592 | |
| 12 | महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी (आईएमसीटीआई) | 7/4/2015 | 180,250 | |
| 13 | निदेशक, एसडब्ल्यू और बाल संरक्षण सोसायटी, रांची | 12/10/2015 | 199,490 | |
| 14 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एपी एसपीई महिला एवं बाल विजयवाडा | 3/10/2016 | 132,329 | |
| 15 | एनआईपीसीसीडी, लखनऊ | 13.01.2017 | 410,896 | |
| 20 | सदस्य सचिव, सारा मणिपुर | 12.09.2017 | 319,753 | |
| 23 | महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी | 19.01.2018 | 390,240 | |
| 24 | महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी | 22.02.2018 | 117,173 | |
| 25 | एनआईपीसीसीडी, लखनऊ | 12.03.2018 | 524,910 | |
| 26 | निदेशक, डब्ल्यूसीडी, केरल | 13.03.2018 | 213,251 | |
| 27 | निदेशक, डब्ल्यूसीडी, केरल | 15.03.2018 | 246,926 | |
| 28 | कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसाइट | 15.03.2018 | 475,661 | |
| 29 | अध्यक्ष एससीपीएस, छत्तीसगढ़ | 22-06-2018 | 285,845 | |
| 30 | उपाध्यक्ष एससीपीएस, बिहार, पटना | 8/10/2018 | 380985 | |
| 31 | राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी पश्चिम बंगाल | 19-12-2018 | 446,280 | |
| 32 | निदेशक, पांडिचेरी के यूटी | 1/21/2019 | 158,790 | |
| 33 | राष्ट्रीय बाल भवन | 3/11/2019 | 60,000 | |
| 34 | राष्ट्रीय बाल भवन | 19-03-2019 | 120,000 | |
| 35 | निदेशक एसडब्ल्यू विभाग मणिपुर | 25-03-2019 | 228,270 | |
| 36 | निर्देशक डब्ल्यूसीडी हैदराबाद | 30-03-2019 | 171,360 | |
| 37 | निदेशक उड़ीसा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी | 30-03-2019 | 247,830 | |
| 38 | निर्देशक सीपीएस नगालैंड कोहिमा | 31-03-2019 | 235,650 | |
| 39 | निदेशक सारा राजस्थान | 31-03-2019 | 186,300 | |
| | **कुल** | | **7,521,305** | - |

32

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम

| | कर्मचारियों का नाम | बकाया राशि यथा | बकाया राशि | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| | | दिनांक 31/03/2019 | दिनांक 31/03/2019 | |
| क | **त्यौहार अग्रिम** | | | |
| | श्री प्रमोद कुमार–डीईओ | | | |
| | श्री रितेश आहूजा–डीईओ | | | |
| | श्री संजय कुमार–डीईओ | | | |
| | श्री देवेन्द्र कुमार | | | |
| | श्री रविन्द्र सिंह रावत–डीईओ | | | |
| | श्री विजय सिंह | | | |
| | श्री भगता, चपरासी | | | |
| ख | **कम्यूटर अग्रिम** | | | |
| | श्री बी.के.साहू, उप निदेशक | | | |
| ग | **कार अग्रिम** | | | |
| | श्री बी.के.साहू, उप निदेशक | | | |
| घ | **स्कूटर अग्रिम** | | | |
| | श्री विजय सिंह, स्टेनो | 0 | 3000 | |
| | श्री रितेश आहूजा–डीईओ | 1000 | 7,500 | |
| | श्री भगता, निम्न वर्ग लिपिक | 10500 | 16000 | |
| | श्री प्रमोद कुमार–डीईओ | 0 | 0 | |
| | श्री रविन्द्र सिंह रावत | 0 | | |
| | | | | |
| ङ | **टीए अग्रिम** | | | |
| | श्री बी.के.साहू, उप निदेशक | | | |
| | श्री जे एन शर्मा | 0 | 41,000 | |
| | | | | |
| च | **एलटीसी अग्रिम** | | | |
| | विनीता झा | 0 | 4,189 | |
| | | | | |
| छ | **अन्य** | | | |
| | अर्चना त्यागी | 70100 | 11,000 | |
| | अर्पणा शर्मा | 0 | 10,805 | |
| | दीपक राठौर | 5000 | | |
| | श्री चदेस्त्रर भगता | 18465 | | |
| | **कुल ख** | **105,065** | **93,494** | |
| | **कुल योग (क+ख+ग+घ)** | **105,065** | **93,494** | |

वित्तीय विवरण

अनुलग्नक 'ग'

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खण्ड – 8, विंग – 2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

33

यथा दिनांक 31/03/2019 को खर्च हेतु

अनुलग्नक 'ग'

| क्रम.सं. | प्रावधान खर्च | शीर्ष खर्चो का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | पिछले वर्ष हेतु प्रावधान (शेष बकाया) | सीपीडब्ल्यूडी हेतु अग्रिम | 704,546.00 |
| | **कुल** | | **704,546.00** |

## टिप्पणी

''प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित वार्षिक प्रतिवेदन मान्य होगा।''

CARA

**केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण**
**(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार)**
**पश्चिमी खंड –8, विंग–2, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066**
**टोल फ्री नं. 1800–11–1311, फैक्स– 91–011–26180198**
**ईमेल– carahdesk.wcd@nic.in,**
**वेबसाइट– www.cara.nic.in**

CARA

केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पश्चिमी खंड–8, विंग–2, द्वितीय तल, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–110066

टोल फ्री नं. : 1800-11-1311, टेलीफैक्स : +91-11-26180198

ई–मेल : carahdesk.wcd@nic.in, वैबसाइट : www.cara.nic.in

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development, Government of India

West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi-110066

Toll Free No. : 1800-11-1311, Telefax : +91-11-26180198

E-mail : carahdesk.wcd@nic.in, Website : www.cara.nic.in